

अनुच्छेद संख्या 1.11 में संदर्भित

31 मार्च 2013 को सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की अद्यतन पूँजी, बकाया ऋणों तथा जनशक्ति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(कॉलम संख्या 5 (क) से 6(घ) के आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. स.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समावेलन की तिथि	प्रदर्श पूँजी ^१			वर्ष 2012-13 के अंत में बकाया ऋण ^२			वर्ष 2012-13 के लिये ऋण पूँजी अनुपात (प्रियतार्थ)	जनशक्ति (31.03.2013 को कम्तीयांसि की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	6 (घ)	6 (क)	6 (घ)	6 (ग)	8
क. कार्यपाल सरकारी कम्पनियों											
कृषि एवं समवर्ती क्षेत्र											
1	राजस्थान राज्य शीज निगम लिमिटेड क्षेत्रपाल योग	कुषी	28 मार्च 1978	6.33	1.04	0.22	7.59	-	-	-	238
2	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड क्षेत्रपाल योग	उद्योग	3 जून 1961	6.64	0.27	0.05	6.96	1.01	-	-	238
3	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड राजस्थान राज्य पार्क फायरेनेस्ट कॉर्पोरेशन	उद्योग	3 मार्च 1984	21.85	-	0.55	22.40	-	0.57	0.57	31
4	लिमिटेड क्षेत्रपाल योग	वित्त	22 दिसेंबर 2012	15.00	-	-	15.00	-	-	-	छ.न.
दूंचगत क्षेत्र											
5	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विद्युत निगम लिमिटेड	उद्योग	28 मार्च 1969	210.19	-	-	210.19	-	-	-	970
6	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण विभाग	8 फरवरी 1979	20.00	-	-	20.00	-	-	618.84	30.94;1 (22.85;1)
7	राजस्थान शहरी ढांचा वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	स्थानीय स्वायत्त शासन	1 दिसेंबर 2004	33.00	-	-	33.00	-	-	-	24
8	बाड़मेर लिंगनाईट स्टानन कृष्णनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (11) की सहायत संयुक्त कमांडी)	राजन	19 जनवरी 2007	-	-	20.00	20.00	-	1215.09	60.75;1 (56.21;1)	5

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरिक्षा प्रतिवेदन संस्था 1 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

क्र. स.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समामेलन की तिथि	प्रदत्त पूँजी*			वर्ष 2012-13 के अंत में बकाया ऋण**			वर्ष 2012-13 के लिये ऋण पूँजी अनुपात (प्रिला वर्ष)	जनशक्ति (31.03.2013 को कमचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य योग		
1	2	3	4	5 (क्र.)	5 (ख.)	5 (ग.)	6 (क्र.)	6 (ख.)	6 (ग.)	7	8
9	राजस्थान राज्य ब्रेवरेज नियम लिमिटेड	वित्त (आबाकारी) 2005	24 फरवरी 2005	2.00	-	-	2.00	-	-	-	161
10	राजस्थान राज्य गोपनीय सुपर मिल्स लिमिटेड	वित्त (आबाकारी)	1 जुलाई 1956	36.79	-	0.05	36.84	-	-	-	1693
11	राजस्थान राज्य स्थान एवं स्वामित्व लिमिटेड (दिसंबर 1974 से सरकारी कम्पनी)	स्थान एवं प्रौद्योगिक्य	7 मई 1947	77.54	-	0.01	77.55	-	-	-	1701
12	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम नियम लिमिटेड (क्रम संख्या का (11) की सहायक कम्पनी)	स्थान एवं प्रौद्योगिक्य	10 जुलाई 2008	-	-	1.10	1.10	-	-	-	शून्य
13	राजस्थान राज्य रिफाइनरी लिमिटेड	स्थान एवं प्रौद्योगिक्य	2012	5.10	-	-	5.10	-	-	-	उ.न.
क्षेत्रवार योग				121.43	-	-	21.16	142.59	-	-	1215.09
कर्जा क्षेत्र											
14	अजमेर विद्युत वितरण नियम लिमिटेड	कर्जा	19 जून 2000	2428.81	-	-	2428.81	840.42	121.61	4345.22	5307.25
15	बौसवाडा तापीय कर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (26) की सहायक कम्पनी)	कर्जा	7 अगस्त 2008	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-
16	बाडमेर तापीय कर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (26) की सहायक कम्पनी)	कर्जा	5 जुलाई 2010	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-
17	छोड़ा उर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या क (27) की सहायक कम्पनी)	कर्जा	22 नवम्बर 2006	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-
18	धौलपुर रैस कर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या क (27) की सहायक कम्पनी)	कर्जा	22 नवम्बर 2006	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-
19	गिरल लिनाइट कर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या क (27) की सहायक कम्पनी)	कर्जा	23 नवम्बर 2006	-	-	200.00	200.00	-	-	252.25	252.25
20	गुडा तापीय कर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (26) की सहायक कम्पनी)	कर्जा	16 अप्रैल 2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-
21	जयपुर विद्युत वितरण नियम लिमिटेड	कर्जा	19 जून 2000	2684.85	-	-	2684.85	916.04	-	19571.30	20487.34
22	जोधपुर विद्युत वितरण नियम लिमिटेड	कर्जा	19 जून 2000	2293.84	-	-	2293.84	166.44	149.76	4436.05	4752.25
23	केशोरायपाटन गैस तापीय कर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (26) की सहायक कम्पनी)	कर्जा	17 सितम्बर 2010	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-

क्र. स.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समायोजन की तिथि	प्रदत्त पूँजी			वर्ष 2012-13 के अंत में बकाया ऋण**			वर्ष 2012-13 के लिये ऋण पूँजी अनुपात (प्रिला वर्ष)	जनशक्ति (31.03.2013 को कम्चारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य सरकार	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य सरकार		
1	2	3	4	5 (क्र.)	5 (छ.)	5 (प्र.)	6 (क्र.)	6 (छ.)	6 (प्र.)	7	8
24	लेक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या का (26) की सहायक कम्पनी)	छोरा	6 जनवरी 2011	-	-	0.05	0.05	-	-	-	शून्य
25	पिंक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या का (26) की सहायक कम्पनी)	छोरा	6 जनवरी 2011	-	-	0.05	0.05	-	-	-	शून्य
26	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	छोरा	19 जून 2000	2593.00	-	-	2593.00	204.42	-	7193.63	7398.05 (2,86.1)
27	राजस्थान राज्य विद्युत उत्तराद्वान निगम लिमिटेड	छोरा	19 जून 2000	5965.59	-	-	5965.59	138.07	-	11923.25	12061.32 (2,03.1)
28	राजस्थान अक्षय छोरा निगम लिमिटेड	छोरा	6 अप्रैल 1995	12.94	-	-	12.94	-	-	38.87	38.87 3,00:1 76
29	राजस्थान सोलार पार्क डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या का (28) की सहायक कम्पनी)	छोरा	2 नवंबर 2011	-	-	0.05	0.05	-	-	1.00	1.00 20.00:1 (10.00:1) शून्य
क्षेत्रवार योग				15979.03	-	200.45	16179.48	2265.39	271.37	47761.57	50298.33 71765
सेवा क्षेत्र											
30	बीकानेर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	शासन	7 मई 2008	-	-	0.30	0.30	-	-	-	शून्य
31	जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	शासन	6 फरवरी 2008	-	-	10.00	10.00	-	-	2.89	2.89 0.29:1 (6.59:1) 175
32	जयपुर नेट्वर्क रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	आवास	शहरी विकास एवं आवास	1 जनवरी 2010	1047.04	-	166.00	1213.04	-	-	-
33	कोटा शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	शासन	शहरी प्रशासन	22 दिसंबर 2006	-	-	0.10	0.10	-	-	-
34	राजकाम्प इको सर्विसेज लिमिटेड	पूर्णना प्रादोषिकी	पूर्णना प्रादोषिकी एवं संचार	27 अक्टूबर 2010	5.00	-	-	5.00	-	-	-
35	राजस्थान नागरिक उड़डयन निगम लिमिटेड	ज्ञामन्त्र प्रशासन एवं नागरिक उड़डयन	जीनेक कल्याण	20 दिसंबर 2006	1.87	-	-	1.87	-	-	-
36	राजस्थान धूतपूर्व सेनिक निगम लिमिटेड	विभाग	विभिन्न स्थान	29 मार्च 2012	5.00	-	-	5.00	-	-	ल.न.
37	राजस्थान मैडिफल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	वर्धमान	एवं परिवार वर्धमान	4 मई 2011	5.00	-	-	5.00	53.88	53.88 10.78:1 (1.00:1) 137	

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरिक्षा प्रतिवेदन संस्था 1 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

क्र. स.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समामेलन की तिथि	प्रदत्त पूँजी*			वर्ष 2012-13 के अंत में बकाया ऋण**			वर्ष 2012-13 के लिये ऋण पैंचांगी अनुपात (पिछला वर्ष)	जनशक्ति (31.03.2013 को कमचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य योग		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	7	8
38	राजस्थान योग्य शब्दाल एवं आजीविका विकास निगम	श्रम एवं रोजगार	17 अप्रृष्ट 2010	0.05	-	0.05	-	-	-	-	8
39	राजस्थान राज्य स्थाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	स्थाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता समिति	8 दिसंबर 2010	50.00	-	-	50.00	55.10	-	55.10	1.10:1 (-)
40	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	पर्यटन	7 जून 1965	2.16	-	-	2.16	-	-	-	-
41	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	24 नवम्बर 1978	21.95	-	-	21.95	-	-	-	-
42	उदयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	स्थानीय स्थायत शासन	8 जनवरी 2007	-	-	0.30	0.30	-	-	4.65	0.21:1 (0.08:1)
	क्षेत्रवार योग			1138.07	-	176.70	1314.77	108.98	-	7.54	1127
	विविध क्षेत्र										2054
43	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	मृ-जल विभाग	25 जनवरी 1984	1.27	-	-	1.27	-	-	-	33
	क्षेत्रवार योग			1.27	-	-	1.27	-	-	-	33
	योग क (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)			17552.81	1.31	399.13	17953.25	2375.38	271.37	49603.61	52250.36
	सभी कार्यरत सार्वजनिक निगम										79228
	वित्त क्षेत्र										
1	राजस्थान वित्त निगम	उद्योग	17 जनवरी 1955	103.31	-	32.42	135.73	-	-	555.18	555.18
	क्षेत्रवार योग			103.31	-	32.42	135.73	-	-	555.18	555.18
	सेवा क्षेत्र										
2	राजस्थान राज्य पश्च परिवहन निगम	परिवहन	1 अक्टूबर 1964	382.13	26.83	-	408.96	10.00	-	675.80	685.80
3	राजस्थान राज्य भौतिक व्यवस्था निगम	कृषि	30 दिसंबर 1957	3.93	-	3.92	7.85	-	-	8.75	8.75
	क्षेत्रवार योग			386.06	26.83	3.92	416.81	10.00	-	684.55	694.55
	योग ख (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सार्वजनिक निगम)			489.37	26.83	36.34	552.54	10.00	-	1239.73	1249.73
	कुल योग (क+ख)			18042.18	28.14	435.47	18505.79	2385.38	271.37	50843.34	53500.09
	100171										

क्र. स.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समायोजन की तिथि	प्रदत्त पूँजी*			वर्ष 2012-13 के अंत में बकाया ऋण**			वर्ष 2012-13 के लिये ऋण पूँजी अनुपात (प्रिला वर्ष)	जनशक्ति (31.03.2013 को कमचारियों की संख्या)		
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
ए. अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्ती क्षेत्र													
1	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	कृषि	1 अगस्त 1969	6.01	-	-	6.01	3.36	-	-	3.36	0.56:1 (0.52:1)	शून्य
2	राजस्थान राज्य हेयरी विकास निगम लिमिटेड	हेयरी	31 मार्च 1975	0.16	2.72	-	2.88	-	-	-	-	-	शून्य
क्षेत्रवार योग													
योग ग (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)													
कुल योग (क+ख+ग)												100171	
उपरोक्त में क्रम संख्या क-30, क-31, क-33 व क-42 पर वर्णित 619-वी कम्पनियाँ एवं क्रम संख्या क-38 पर धारा 25 कम्पनी सम्मिलित हैं।													
\$ प्रदत्त पूँजी में अंश आवेदन राशि सम्मिलित है।													
** वर्ष 2012-13 के अन्त में बकाया ऋण केवल दीर्घकालीन ऋणों को दर्शाते हैं।													
Ω क्रम संख्या क-33 पर वर्णित कम्पनी हारा वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के लिये सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इस कम्पनी से सम्बन्धित उपरोक्त दशाये गये आंकड़े 2010-11 से सम्बन्धित हैं।													

\$ प्रदत्त पूँजी में अंश आवेदन राशि सम्मिलित है।

** वर्ष 2012-13 के अन्त में बकाया ऋण केवल दीर्घकालीन ऋणों को दर्शाते हैं।

Ω क्रम संख्या क-33 पर वर्णित कम्पनी हारा वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के लिये सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इस कम्पनी से सम्बन्धित उपरोक्त दशाये गये आंकड़े 2010-11 से सम्बन्धित हैं।

अनुच्छेद-2

(अनुच्छेद संख्या 1.35 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों एवं सांचिधिक निगमों के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+) / हानि (-)			टनओवर	लेखों पर दिएगियों का प्रभाव*	मदत पैंडी हानि (-)	संचित लाभ (+)/हानि (-)	नियोजित पैंडी पर प्रतिफल का प्रतिशत		
				व्याज एवं हास से पहले शुद्ध लाभ (+) / हानि (-)	हास	शुद्ध लाभ (+) / हानि (-)							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	6	7	8	9	10	11	12
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्ग क्षेत्र													
1	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	32.91	3.22	2.04	27.65	293.06	₹ 0.69 करोड़ से लाभ में कमी	7.59	80.49	88.08	30.87
क्षेत्रवार योग				32.91	3.22	2.04	27.65	293.06		7.59	80.49	88.08	30.87
वित्त क्षेत्र													
2	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	3.04	0.47	0.43	2.14	118.52	₹ 0.01 करोड़ से लाभ में कमी	6.96	-30.67	-11.08	2.61
3	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	0.45	0.05	0.01	0.39	14.18		22.40	-52.87	-29.77	0.44
4	राजस्थान राज्य पावर फायब्रेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	2012-13	2013-14	-0.07	-	-	-0.07	-		-	15.00	-0.07	14.93 -0.07
क्षेत्रवार योग				3.42	0.52	0.44	2.46	132.70		44.36	-83.61	-25.92	2.98
दांचापत्र क्षेत्र													
5	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	272.03	0.03	0.61	271.39	862.42	₹ 6.78 करोड़ से लाभ में घट्ट	210.19	793.64	1325.99	271.42 20.47
6	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	46.74	4.14	10.14	32.46	73.13		-	20.00	55.31	531.14 36.60 6.89

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कार्यपी का नाम	लेखों की वर्ग विस्तृति	शुद्ध लाय (+) / हानि (-)				टन्डोबर	लेखों पर दिये गये कार्यपालक*	प्रदत फूंडी (+)/हानि (-)	संचित लाय (+)/हानि (-)	नियोजित फूंडी	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत		
			व्याज एवं हास से अंतिम रूप दिया गया	पहले शुद्ध लाय (+) / हानि (-)	हास	शुद्ध लाय (+) / हानि (-)								
1	2	3	4	5 (क्र.)	5 (भ.)	6	7	8	9	10	11	12		
7	राजस्थान शहरी ढांचा वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	0.18	-	0.05	0.13	0.27	-	33.00	0.96	33.96	0.13	0.38
	क्षेत्रवार योग			318.95	4.17	10.80	303.98	935.82	263.19	849.91	1891.09	308.15		
	विभिन्न प्रक्रिया क्षेत्र													
8	बाइमेर लिमिटेड खनन कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क्र.(11) की सहायक संस्थापन कम्पनी)	2011-12	2012-13	25.48	17.46	8.48	-0.46	163.43	-	20.00	-1.09	1143.04	17.00	1.49
9	राजस्थान राज्य बोरोडेरेज निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	5.24	-	0.51	4.73	3122.12	-	2.00	8.54	10.55	4.73	44.83
10	राजस्थान राज्य गांगनगर शुगर मिल्स लिमिटेड	2012-13	2013-14	16.62	0.37	1.72	14.53	618.98	-	36.84	20.31	59.00	14.90	25.25
11	राजस्थान राज्य खान एवं स्लनिज लिमिटेड	2012-13	2013-14	680.42	7.60	56.99	615.83	1246.69	₹ 22.18 करोड़ से लाय में कमी	77.55	1457.95	1546.34	623.43	40.32
12	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (क्रम संख्या क्र.(11) की सहायक कम्पनी)	2012-13	2013-14	-0.02	-	-	-0.02	-	-	1.10	-0.83	0.27	-0.02	-7.41
13	राजस्थान राज्य रिफाइनरी लिमिटेड	2012-13	2013-14	-	-	-	-	-	-	5.10	-	5.11	-	-
	क्षेत्रवार योग			727.74	25.43	67.70	634.61	5151.22		142.59	1484.88	2764.31	660.04	
	उत्तर्का क्षेत्र													
14	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	-1246.52	2433.79	224.42	-3904.73	5851.76	₹ 450.80 करोड़ से हानि में घटेक्ष	2428.81	-18407.88	3683.51	-1470.94	-39.93
15	बांसवाड़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क्र(26) की सहायक कम्पनी)	2012-13	2013-14	-0.25	-	0.02	-0.27	-	-	0.05	-8.02	-7.97	-0.27	-
16	बाइमेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क्र(26) की सहायक कम्पनी)	2012-13	2013-14	-0.03	0.71	-	-0.74	-	-	0.05	-6.36	6.31	-0.03	-
17	छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या क्र(27) की सहायक कम्पनी)	2012-13	2013-14	-0.03	-	-	-0.03	-	-	0.05	-0.03	0.02	-0.03	-150.00
18	धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या क्र(27) की सहायक कम्पनी)	2012-13	2013-14	-0.03	-	-	-0.03	-	-	0.05	-0.03	0.02	-0.03	-150.00

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेशपारिका प्रतिवेदन संख्या 1 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की वर्ग जिसमें लेखों को अधिक अंतिम रूप दिया गया	चुनौत लाय (+) / हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव*	प्रदत यूंजी	संचित लाय (+) / हानि (-)	नियोजित यूंजी	नियोजित यूंजी पर प्रतिफल का प्रतिशत		
			व्याज एवं हास से पहले यूंजी लाय (+) / हानि (-)	व्याज	हास	यूंजी लाय (+) / हानि (-)								
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	6	7	8	9	10	11	12	
19	गिरल लिग्नाइट लिमिटेड (क्रम संख्या क(27) की सहायक कम्पनी)	2010-11	2013-14	-34.20	33.10	0.37	-67.67	30.21	-	0.05	-158.47	181.83	-34.57	-19.01
20	यूडा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क(26) की सहायक कम्पनी)	2012-13	2013-14	-1.57	0.38	-	-1.95	-	-	0.05	-6.35	-6.30	-1.57	-
21	जयपुर विद्युत वितरण नियम लिमिटेड	2012-13	2013-14	-1569.72	2251.04	340.47	-4161.23	6907.14	₹ 101.51 करोड़ से हानि में बढ़ि	2684.85	-17593.38	2852.29	-1910.19	-66.97
22	जोधपुर विद्युत वितरण नियम लिमिटेड	2011-12	2012-13	-4220.44	1772.21	186.25	-6178.90	4237.08	₹ 153.83 करोड़ से हानि में बढ़ि	1416.68	-13006.16	3718.39	-4406.69	-118.51
23	कंशोरायाटन ईस तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क(26) की सहायक कम्पनी)	2012-13	2013-14	-0.02	-	-	-0.02	-	-	0.05	-1.97	-1.92	-0.02	-
24	लोक सिटी प्रासारा रोजा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क(26) की सहायक कम्पनी)	2012-13	2013-14	-0.07	0.01	-	-0.08	-	-	0.05	-0.18	-0.13	-0.07	-
25	पिंक सिटी प्रासारा सेवा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क(26) की सहायक कम्पनी)	2012-13	2013-14	-0.02	0.01	-	-0.03	-	-	0.05	-0.15	-0.10	-0.02	-
26	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण नियम लिमिटेड	2011-12	2012-13	727.24	504.46	258.71	-35.93	2035.65	₹ 617.73 करोड़ से हानि में बढ़ि	2144.00	-1670.49	6185.25	468.53	7.57
27	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन नियम लिमिटेड	2010-11	2012-13	1174.69	724.26	491.63	-41.20	6120.81	₹ 87.34 करोड़ से हानि में बढ़ि	4808.59	-548.92	12682.95	683.06	5.39
28	राजस्थान अक्षय ऊर्जा नियम लिमिटेड	2012-13	2013-14	30.96	2.71	12.43	15.82	37.96	₹ 2.73 करोड़ से लाभ में कमी	12.94	91.37	125.67	18.53	14.74
29	राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कम्पनी कम्पनी	2012-13	2013-14	-0.02	-	-	-0.02	-	-	0.05	-0.02	0.03	-0.02	-66.67
	क्षेत्रवार योग			-5140.03	7722.68	1514.30	-14377.01	25220.61		13496.37	-51317.04	29407.23	-6654.33	

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+) / हानि (-)		टर्नओवर	लेखों पर दियगये का प्रभाव*	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (-)	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं हास से पहले शुद्ध लाभ (+) / हानि (-)	ब्याज हास						
1	2	3	4	5 (क्र.)	5 (घ.)	5 (ए.)	5 (घ.)	6	7	8	9
सेवा क्षेत्र											
30	बीकानेर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	2011-12	2012-13	0.02	-	0.02	-	-	0.30	0.05	0.02
31	जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	2012-13	2013-14	-32.33	2.59	6.13	-41.05	65.25	-	10.00	-73.57
32	जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2012-13	2013-14	34.34	-	0.20	34.14	-	-	1213.04	5.93
33	कोटा शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	2012-13	2013-14	ग्राम्य से ही पहले लेखे प्राप्त नहीं हुये	-	-	-	-	-	-	-
34	राजकार्य इको सर्विसेज लिमिटेड	2012-13	2013-14	8.23	-	0.19	8.04	11.03	-	5.00	5.84
35	राजस्थान नागरिक उड़ाउन निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	-0.37	-	-0.37	0.70	-	1.87	-5.89	-4.01
36	राजस्थान भूतपूर्व सेविक निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	-0.17	-	0.02	-0.19	1.00	-	5.00	-0.19
37	राजस्थान मेंडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन	2012-13	2013-14	1.61	1.46	0.76	-0.61	10.68	-	5.00	3.09
38	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	2012-13	2013-14	-1.15	-	0.04	-1.19	24.95	-	0.05	-0.83
39	राजस्थान राज्य साधा एवं नागरिक आयूत्ति निगम लिमिटेड	2011-12	2013-14	14.26	0.06	0.03	14.17	16.67	-	50.00	8.41
40	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	0.23	0.04	0.17	0.02	1.45	₹ 0.82 करोड़ से लाभ में घुट्ठे	1.91	-5.67
41	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	-7.22	1.12	3.31	-11.65	78.30	-	18.45	-72.12
42	उदयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	2010-11	2012-13	0.07	-	-	0.07	0.01	-	0.30	0.15
क्षेत्रवार योग				17.52	5.27	10.85	1.40	210.04	1310.92	-134.80	1416.71
विविध क्षेत्र											
43	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	-0.15	-	-	-0.15	-	₹ 0.13 करोड़ से हानि में घुट्ठे	-1.36	-0.02
क्षेत्रवार योग				-0.15	-	-	-0.15	-	1.27	-1.36	-0.02

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरिका प्रतिवेदन संख्या 1 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की वर्ग जिसमें अधिक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाय (+) / हानि (-)			टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी टिप्पणियों का प्रभाव*	संचित लाय (+) / हानि (-)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
			व्याज एवं हास से पहले शुद्ध लाय (+) / हानि (-)	व्याज	हास				
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	6	7	8	9
योग का (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)			-4039.64	7761.29	1606.13	-13407.06	31943.45	15266.29	-49121.53
स. कार्यरत सांघिक नियम									
क्षेत्र									
1	राजस्थान वित्त नियम	2012-13	2013-14	44.30	35.69	0.19	8.42	111.63	₹ 31.19 करोड़ रुपये में कमी
क्षेत्रवार योग				44.30	35.69	0.19	8.42	111.63	135.73
सेवा क्षेत्र								135.73	-130.10
2	राजस्थान राज्य पथ परिवहन नियम	2012-13	2013-14	-224.37	65.51	43.78	-333.66	1377.90	-408.96
3	राजस्थान राज्य मुद्रार व्यवस्था नियम	2012-13	2013-14	25.44	0.96	3.03	21.45	53.35	-7.85
क्षेत्रवार योग				-198.93	66.47	46.81	-312.21	1431.25	-416.81
योग ख (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सांघिक नियम)				-154.63	102.16	47.00	-303.79	1542.88	552.54
कुल योग (कु+ख)				-4194.27	7863.45	1653.13	-13710.85	33486.33	15818.83
ग. अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ								50902.76	35867.79
कुपि एवं समवर्गी क्षेत्र									-5847.40
1	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग नियम लिमिटेड	2010-11	2012-13	-0.15	1.24	-	-1.39	6.01	-48.88
2	राजस्थान राज्य डेपर्टमेंट विकास नियम लिमिटेड	2012-13	2013-14	-	-	-	-	2.88	-0.21
क्षेत्रवार योग				-0.15	1.24	-	-1.39	8.89	-49.09
योग ख (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)				-0.15	1.24	-	-1.39	8.89	-49.09
कुल योग (कु+ख+ग)				-4194.42	7864.69	1653.13	-13712.24	33486.33	15827.72
								50951.85	35832.20
									-5847.55
									-16.32

¥ सांघिक लेखापरिक्षक तथा सीएजी की टिप्पणियों के शुद्ध प्रभाव को शामिल करते हुये
μ नियोजित पूँजी से आशय अंशाधारियों के कोष एवं दीर्घकालीन उद्यारियों के योग से है।

अनुबन्ध-३

(अनुच्छेद संख्या 1.15 में संदर्भित)

बजट से प्राप्त समता पूँजी/ऋण, वर्ष के दौरान प्राप्त/एवं प्राप्त अनुदान व अर्थ-साहाय्य, प्राप्त गारंटी, देयताओं का परिच्या, अपलेखित ऋण एवं समता पूँजी में परिवर्तित ऋणों तथा मार्च 2013 के अंत में गारंटी प्रतिबद्धताओं को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(कॉलम संख्या 3(क) से 6(घ) की राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त समता पूँजी/ऋण				वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान एवं अर्थ-साहाय्य				वर्ष के दौरान देयताओं का परिच्या			
		समता पूँजी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	प्राप्त प्रतिबद्धता	अपलेखित ऋण	समता पूँजी में परिवर्तित ऋण	परिच्या किया हुआ व्याज/दंडनीय व्याज	योग	
1	2	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)	6(घ)	
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्ती क्षेत्र													
1	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	-	-	0.09	31.88	-	31.97	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		-	-	0.09	31.88	-	31.97	-	-	-	-	-	-
वित्त क्षेत्र													
2	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	-	-	7.22	0.75	-	7.97	-	-	-	-	-	-
3	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	3.19	-	3.19	-	-	-	-	-
4	राजस्थान राज्य पावर फायनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		15.00	-	7.22	3.94	-	11.16	-	-	-	-	-	-
दांचगत क्षेत्र													
5	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवास निगम लिमिटेड	-	-	26.77	-	-	26.77	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		-	-	26.77	-	-	26.77	-	-	-	-	-	-
विनियमा क्षेत्र													
6	राजस्थान राज्य गांगानगर झुगर मिल्स लिमिटेड	11.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	राजस्थान राज्य रिफाइनरी लिमिटेड	5.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		16.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरिका प्रतिवेदन संख्या 1 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं क्रमसी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से			वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान एवं अर्थ-साहस्र			वर्ष के दौरान प्राप्त गांतरियाँ एवं वर्ष के अंत में प्रतिबद्धता	वर्ष के दौरान देशांकों का परिचय		
		समता पूँजी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	प्रतिबद्धता	अपलेखित ऋण अदायगी	समता पूँजी में परिवर्तित ऋण हुआ व्याज/ दंडनीय व्याज	योग
1	2	3(क)	3(ख)	4(क्र)	4(ख)	4(ख)	4(ख)	5(क)	5(ख)	6(ग)	6(घ)
कर्जा क्षेत्र											
8	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	916.66	371.35	2.46	1772.38	-	1774.84	4981.00	21537.51	-	-
9	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	969.18	309.23	-	927.32	-	927.32	5002.00	19359.40	-	-
10	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	877.16	-	-	-	-	-	6267.88	1987.82	-	-
11	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	449.00	-	-	2.85	-	2.85	2908.13	7039.03	-	-
12	राजस्थान राज्य विद्युत उत्तरादन निगम लिमिटेड	636.00	-	-	0.03	-	0.03	250.00	2055.43	-	-
13	राजस्थान अक्षय कर्जा निगम लिमिटेड	-	-	16.50	3.05	-	19.55	-	-	-	-
क्षेत्रार योग		3848.00	680.58	18.96	2705.63	-	2724.59	19409.01	69862.19	-	-
सेवा क्षेत्र											
14	जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	-	19.00	5.42	2.16	78.15	85.73	-	-	-	-
15	जयपुर मेट्रो रेल कार्यपालेशन लिमिटेड	561.00	-	-	-	45.00	45.00	-	-	-	-
16	राजस्थान भूतपूर्व सेविक निगम लिमिटेड	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारोबारेशन लिमिटेड	-	48.88	-	292.32	-	292.32	-	-	-	-
18	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	-	-	-	23.00	-	23.00	-	-	-	-
19	राजस्थान राज्य साध्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	-	55.10	-	6.65	-	6.65	-	-	-	-
20	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	3.50	-	-	-	-	-	-	2.89	-	-
क्षेत्रार योग		569.75	122.98	5.42	324.13	123.15	452.70	-	2.89	-	-
योग क (सभी क्षेत्रार कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)	4449.47	803.56	58.46	3065.58	123.15	3247.19	19409.01	69865.08	-	-	-
ख. कार्यरत सार्विक निगम											
वित्त क्षेत्र											
1	राजस्थान वित्त निगम	10.00	-	-	-	-	300.00	-	15.65	-	15.65

क्र. सं.	क्षेत्र क्रमांकी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त समता पूँजी/ऋण			वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान एवं अथ-सहाय्य			वर्ष के दौरान विभिन्न प्राप्त गारंटीयों पर्याप्त वर्ष के अंत में प्रतिक्रिया			वर्ष के दौरान देयताओं का परिचय	
		समता पूँजी	ऋण	समता सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	प्राप्त	प्रतिक्रिया	अपरेक्षित ऋण	समता पूँजी से परिसाम किया	
1	2	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)	6(घ)
क्षेत्रवार योग		10.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	15.65	-
सेवा क्षेत्र											15.65	
2	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	183.90	10.00	-	43.00	-	43.00	500.00	500.00	-	-	-
क्षेत्रवार योग		188.90	10.00	-	43.00	-	43.00	500.00	500.00	-	-	-
योग ख (सभी क्षेत्रवार कार्यस्त सांविधिक निगम)	193.90	10.00	-	43.00	-	43.00	800.00	500.00	-	15.65	-	15.65
कुल योग (क+ख)	4648.37	813.56	58.46	3108.58	123.15	3290.19	20209.01	70365.08	-	15.65	-	15.65
ग. अकार्यरत सरकारी कर्मचारी												
कृषि एवं समवर्ती क्षेत्र												
1	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग ग (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत सरकारी कर्मचारी)	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)	4648.37	813.81	58.46	3108.58	123.15	3290.19	20209.01	70365.08	-	15.65	-	15.65

अनुबन्ध-4

(अनुच्छेद संख्या 1.24 में संदर्भित)

राज्य सरकार द्वारा पीएसयूज, जिनके लेखे बकाया है, में बकाया लेखों के वर्षों के दौरान किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	वर्ष जहाँ तक के लेखों को अंतिम रूप दिये गये दिया जा सुका है	अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान, जिसके लेखे बकाया है, में किया गया निवेश				योग
				वर्ष	पूँजी	ऋण	अर्थ-साहाय्य	
1.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2011-12	1416.68	2012-13	877.16	-	-	877.16
2.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रशारण निगम	2011-12	2144.00	2012-13	449.00	-	2.85	451.85
3.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम	2010-11	4808.59	2011-12	521.00	2949.87	-	3470.87
4.	राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2011-12	50.00	2012-13	636.00	-	0.03	636.03
5.	राजस्थान राज्य होटेस निगम लिमिटेड	2011-12	1.91	2012-13	0.25	-	-	0.25
6.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2011-12	18.45	2012-13	3.50	-	-	3.50
	योग		8439.63		2486.91	3004.97	9.53	-
								5501.41

अनुबन्ध-5

(अनुच्छेद संख्या 1.35 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13
दायित्व			
पूँजी (पूँजी ऋण एवं समता पूँजी सहित)	220.06	220.06	408.96
उधारियाँ			
(सरकार)	-	-	10.00
(अन्य)	453.88	533.54	675.80
निधियाँ ¹	5.26	5.34	31.63
व्यापारिक बकाया एवं अन्य चालू दायित्व (प्राक्धानों सहित)	547.44	638.56	965.09
कुल दायित्व	1226.64	1397.50	2091.48
सम्पत्तियाँ			
सकल ब्लॉक	602.88	625.10	618.44
घटाये: मूल्य हास	317.36	315.72	318.82
शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ	285.52	309.38	299.62
निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य (चेसिस की लागत सहित)	-	2.33	0.92
निवेश	2.48	8.48	4.47
चालू सम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	65.25	74.86	135.59
संचित हानियाँ	873.39	1002.45	1650.88
कुल सम्पत्तियाँ	1226.64	1397.50	2091.48
नियोजित पूँजी	(-)181.67	(-)235.49	(-)524.49

1 मूल्य हास निधियों के अलावा।

राजस्थान वित्त निगम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13
दायित्व			
प्रदत्त पूँजी	110.08	110.08	135.73
अंश आवेदन राशि	-	-	-
संचित निधि एवं अन्य संचय व अधिशेष	61.70	62.70	268.15
उधारियाँ:			
(i) बॉण्ड एवं ऋण-पत्र	74.95	31.50	300.00
(ii) सावधि जमायें	-	-	-
(iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	570.98	568.81	40.00
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक	-	-	-
(v) अंश पूँजी के पेटे ऋण:			
(a) राज्य सरकार	-	-	-
(b) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-
(vi) अन्य (राज्य सरकार सहित)	119.81	69.79	12.45
अन्य दायित्व एवं प्रावधान (जमाओं सहित)	307.41	304.12	309.81
कुल दायित्व	1244.93	1147.00	1066.14
सम्पत्तियाँ			
नकद एवं बैंक शेष	72.84	32.40	97.22
निवेश	1.10	1.10	1.10
ऋण एवं अग्रिम	924.27	888.26	731.41
शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ	3.16	3.12	2.95
अन्य सम्पत्तियाँ	107.89	91.32	103.36
संचित हानियाँ	135.67	130.80	130.10
कुल सम्पत्तियाँ	1244.93	1147.00	1066.14
नियोजित पूँजी ²	882.48	828.06	735.62

2 नियोजित पूँजी, प्रदत्त पूँजी, पूँजी के बदले में ऋण, सीड मनी, ऋण-पत्र, संचय (बाहरी निवेश से सर्वार्थित विशेष रूप से जमा निधियों के अतिरिक्त), बॉण्ड्स जमाओं एवं उधारियों (पुनर्वित सहित) के प्रारम्भिक एवं अन्तिम शेष के मध्यमान को दर्शाती है। मुक्त संचय एवं अधिशेष लाभ-हानि खाते के डेविट शेष तक कम कर दिये गये हैं।

राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13
दायित्व			
प्रदत्त पूँजी	7.85	7.85	7.85
संचय एवं अधिशेष	64.65	83.64	98.58
उधारियाँ			
(सरकार)	-	-	-
(अन्य)	3.65	8.71	8.75
व्यापारिक बकाया एवं अन्य चालू देयताएँ (प्रावधानों सहित)	80.34	72.14	65.00
कुल दायित्व	156.49	172.34	180.18
सम्पत्तियाँ			
सकल ब्लॉक	88.44	92.42	100.81
घटाये: मूल्य ह्रास	34.49	37.25	40.19
शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ	53.95	55.17	60.62
निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	0.83	5.87	8.33
अन्य गैर-चालू सम्पत्तियाँ (आस्थगित कर सम्पत्तियाँ)	-	6.80	4.16
चालू सम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	101.71	104.50	107.07
कुल सम्पत्तियाँ	156.49	172.34	180.18
नियोजित पूँजी	77.46	95.04	115.18

अनुबन्ध-6

(अनुच्छेद संख्या 1.35 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

1. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13
1	परिचालन			
(क)	राजस्व	1180.22	1334.93	1377.90
(स)	व्यय	1412.86	1529.06	1772.30
(ग)	अधिशेष/(घाटा)	(232.64)	(194.13)	(394.40)
2	गैर-परिचालन			
(क)	राजस्व	46.23	63.19	60.74
(स)	व्यय ¹	-	-	-
(ग)	अधिशेष/(घाटा)	46.23	63.19	60.74
3	कुल राजस्व	1226.45	1398.12	1438.64
4	कुल व्यय	1412.86	1529.06	1772.30
5	पूर्व अवधि समायोजनों से पहले लाभ (+)/हानि (-)	(186.41)	(130.94)	(333.66)
6	जोड़ें/(घटायें): पूर्व अवधि समायोजन	(0.43)	0.05	-
7	शुद्ध लाभ/(हानि)	(186.84)	(130.89)	(333.66)
8	पूँजी एवं ऋणों पर ब्याज	39.65	60.40	65.51
9	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	(147.19)	(70.49)	(268.15)

1

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों में परिचालन व गैर-परिचालन व्यय को अलग से नहीं दर्शाया गया है।

2. राजस्थान वित्त निगम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13
1	आय:			
(क)	ऋणों पर ब्याज	131.86	128.03	111.63
(ख)	अन्य आय	6.60	5.51	12.38
	कुल आय	138.46	133.54	124.01
2	व्यय:			
(क)	दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज	69.58	70.72	35.69
(ख)	अन्य व्यय	55.90	57.92	75.44
	कुल व्यय	125.48	128.64	111.13
3	कर से पूर्व लाभ	12.98	4.90	12.88
4	कर के लिए प्राक्षान	(1.01)	(0.37)	(5.02)
5	अन्य विनियोजन	11.48	1.35	4.46
6	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि	23.45	5.88	3.40
7	लाभांश	-	-	-
8	नियोजित पैंची पर कुल प्रतिफल	94.04	76.98	44.11
9	नियोजित पैंची पर प्रतिफल की प्रतिशतता	10.66	9.30	6.00

3. राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13
1	आय:			
(क)	भण्डार प्रभार	32.34	43.17	53.35
(ख)	अन्य आय	6.27	7.89	6.61
	कुल आय	38.61	51.06	59.96
2	व्यय:			
(क)	स्थापना प्रभार	22.03	24.79	28.86
(ख)	अन्य व्यय	6.56	8.02	9.02
	कुल व्यय	28.59	32.81	37.88
3	कर से पूर्व लाभ (+)/हानि (-) (1-2)	10.02	18.25	22.08
4	अन्य विनियोजन	7.93	15.31	19.57
5	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि	2.09	2.94	2.51
6	वर्ष के लिए लाभांश	1.57	1.96	2.36
7	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	10.37	18.12	22.41
8	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	13.39	19.07	19.46

अनुबन्ध-7

(अनुच्छेद संख्या 2.6 में संदर्भित)

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणामों को दर्शाने वाला विवरण पत्र

वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
दायित्व					
प्रदत्त पूँजी	18.45	18.45	18.45	18.45	18.45
पूँजी संचय	-	-	-	-	0.15
आस्थगित राजस्व अनुदान	0.26	7.66	7.29	6.91	6.54
उधारियाँ	11.20	17.20	13.78	11.34	8.12
चालू दायित्व एवं प्रावधान	80.20	80.54	101.75	134.98	140.44
आस्थगित कर दायित्व	3.37	2.02	-	-	-
कुल	113.48	125.87	141.27	171.68	173.70
सम्पत्तियाँ					
निर्माणधीन पूँजीगत कार्य सहित शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ	42.96	65.13	69.10	68.12	65.44
चालू सम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	70.52	52.38	38.38	43.09	36.14
संचित हानियाँ	0.00	8.36	33.79	60.47	72.12
कुल	113.48	125.87	141.27	171.68	173.70

कार्यचालन परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आय	49.61	51.53	72.83	88.63	80.50
व्यय	49.42	61.11	99.94	115.53	95.27
पूर्वाधि समायोजन से पूर्व लाभ/हानि	0.19	(9.58)	(27.11)	(26.90)	(14.77)
पूर्वाधि व असाधारण आय/(व्यय)	0.06	0.16	(0.21)	0.22	3.12
कर पूर्व लाभ/हानि	0.25	(9.42)	(27.32)	(26.68)	(11.65)
(कर हेतु प्रावधान)/(वापसी लेखा)	(0.20)	1.06	1.89	-	-
कर प्रश्चात लाभ/हानि	0.05	(8.36)	(25.43)	(26.68)	(11.65)
नियोजित पूँजी	33.28	36.97	5.73	(23.77)	(38.86)
ब्याज भुगतान	0.00	0.34	1.80	1.49	1.17
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	0.05	(8.02)	(23.63)	(25.19)	(10.48)
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	0.15	(21.69)	(412.39)	-	-

नियोजित पूँजी, शुद्ध स्थायी सम्पत्तियों (निर्माणधीन पूँजीगत कार्य को सम्मिलित करते हुए) एवं सहित कार्यशील पूँजी का प्रतिनिधित्व करती है।

नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल, लाभ/हानि खाते से भारित कुल ब्याज को शामिल करते हुए शुद्ध लाभ/हानि का प्रतिनिधित्व करता है।

अनुच्छेद संख्या 2.9 में सन्दर्भित

2007-12 की अवधि के दौरान इकाईयों की गतिविधि-वार समग्र निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	आवास			खानपान			वार			परिवहन, नौकायन, काउन्टर आय, सामान्य व्यय एवं मरम्मत व रखरखाव को शामिल करते हुए अन्य अधिष्ठप/कमी)			(₹ लाख में)		
		आय	व्यय	शुद्ध अधिष्ठप/कमी)	आय	व्यय	शुद्ध अधिष्ठप/कमी)	आय	व्यय	शुद्ध अधिष्ठप/कमी)	कुल आय	कुल व्यय	शुद्ध अधिष्ठप/कमी)	शुद्ध संचालन लाय/हानि)		
अ होटल/मोटल																
1	स्टाइम, अजमेर	552.68	305.27	247.41	196.28	157.96	38.32	366.81	234.82	131.99	6.94	184.57	(177.64)	1122.71	882.62	240.09
2	मोटल, बर	7.67	15.26	(7.59)	134.26	186.22	(51.96)	3.25	5.50	(2.25)	6.37	46.74	(40.37)	151.55	253.72	(102.17)
3	टुंडवाटी, झुंडी	17.53	39.39	(21.46)	9.56	9.11	0.45	0.00	0.00	0.19	15.58	(15.39)	27.68	64.08	(36.39)	
4	चाक्कल, कोटा	98.91	103.68	(4.77)	36.92	44.74	(7.82)	97.15	79.73	17.42	4.15	59.13	(54.98)	237.13	287.28	(50.15)
5	सरोवर, पुष्कर	158.81	156.67	2.14	64.15	58.11	6.04	0.00	0.00	0.61	68.70	(68.09)	223.57	283.48	(59.91)	
6	टूरिस्ट विलेज, पुष्कर	29.19	55.46	(26.27)	13.35	16.47	(3.12)	0.00	0.00	0.14	35.86	(35.72)	42.68	107.79	(65.11)	
7	दोलामारु, बीकानेर	136.80	151.86	(15.06)	55.31	49.68	5.63	126.93	97.85	29.08	12.94	85.50	(72.56)	331.98	384.89	(52.91)
8	हवेली, फतेहपुर	21.14	47.52	(26.38)	12.76	22.85	(10.09)	7.70	12.80	(5.10)	0.03	25.50	(25.47)	41.63	108.67	(67.04)
9	मोटल, रत्नगढ़	12.05	32.33	(20.28)	22.79	28.39	(5.60)	0.00	0.00	0.21	19.48	(19.27)	35.05	80.20	(45.15)	
10	मूसल, जैसलमेर	324.12	194.60	129.52	156.39	117.77	38.62	10.28	15.84	(5.56)	4.21	98.93	(94.72)	495.00	427.14	67.86
11	समर्थणी, जैसलमेर	72.26	51.76	20.50	48.90	28.53	20.37	0.70	3.47	(2.77)	0.01	16.25	(16.24)	121.87	100.01	21.86
12	घूमर, जोधपुर	553.78	343.98	209.80	170.68	172.49	(1.81)	157.91	123.98	33.93	30.96	219.92	(188.96)	913.33	860.37	52.96
13	पनिहालिन, पाली	72.22	70.00	2.22	40.33	32.35	7.98	38.64	37.09	1.55	0.45	42.55	(42.10)	151.64	181.99	(30.35)
14	मोटल, पोकरण	43.62	45.10	(1.48)	52.07	47.33	4.74	0.00	0.00	1.24	30.71	(29.47)	96.93	123.14	(26.21)	
15	सारस, भरतपुर	90.02	142.99	(52.97)	56.24	87.62	(31.38)	13.29	19.71	(6.42)	0.32	86.70	(86.38)	159.87	337.02	(177.15)
16	मोटल, धौलपुर	10.35	42.95	(32.60)	2.51	1.98	0.53	0.00	0.00	0.16	13.41	(13.25)	13.02	58.34	(45.32)	

ક્ર. સં.	ફાર્માર્ક કા. નામ	આવાસ			ખાનપાન			વાર			પરિવહન, નૌકાયાન, કાઉટર આથ, સામાન્ય વ્યા એવં સરમત વે રહેતાબ કા શામિલ કરતો હું અન્ય			કુલ અથ	કુલ વ્યા	કુલ અથ	કુલ વ્યા
		આય	વ્યા	શુદ્ધ અધિષ્ઠા/ (કર્મી)	આય	વ્યા	શુદ્ધ અધિષ્ઠા/ (કર્મી)	આય	વ્યા	શુદ્ધ અધિષ્ઠા/ (કર્મી)	આય	વ્યા	શુદ્ધ અધિષ્ઠા/ (કર્મી)				
17	ગણગાર, જાયપુર	810.89	598.01	212.88	730.25	678.34	51.91	92.67	83.49	9.18	25.30	305.99	(280.69)	1659.11	1665.83	(6.72)	
18	ઝીલ ચામગઢ, જાયપુર	42.93	76.58	(33.65)	16.57	24.72	(8.15)	0.00	0.00	0.00	0.00	24.38	(24.38)	59.50	125.68	(66.18)	
19	સ્વા.પત્રમ, જાયપુર	305.79	323.94	(18.15)	108.79	135.78	(26.99)	50.76	59.55	(8.79)	4.71	115.98	(111.27)	470.05	635.25	(165.20)	
20	મોટલ, મહુભા	19.43	49.03	(29.60)	183.29	270.21	(86.92)	23.37	24.88	(1.51)	13.68	89.34	(75.66)	239.77	433.46	(193.69)	
21	સીજેબી, સાવાઇનાથોપુર	176.59	98.86	78.14	129.31	101.22	28.09	2.28	4.81	(2.53)	2.59	82.96	(80.37)	311.17	287.85	23.33	
22	વિનાયક, સાવાઇનાથોપુર	163.42	75.95	87.48	107.58	88.31	19.27	1.82	1.86	(10.04)	5.09	66.73	(61.64)	277.91	242.85	35.07	
23	મીનાલ, અલવર	65.49	83.42	(17.93)	25.31	38.75	(13.44)	14.89	19.37	(4.48)	0.33	43.01	(42.68)	106.02	184.55	(78.53)	
24	મોટલ, બહેરેડ	220.74	106.09	114.65	1816.88	1328.76	488.12	333.55	286.31	47.24	550.71	425.91	124.80	2921.88	2147.07	774.81	
25	દુંગ કૈફ, જાયપુર	16.02	9.56	6.46	233.77	327.05	(93.28)	100.00	89.53	10.47	0.01	72.02	(72.01)	349.80	498.16	(148.36)	
26	ટીજ, જાયપુર	491.59	439.10	52.89	187.64	171.39	16.25	74.12	68.06	6.06	1.79	198.92	(197.13)	755.54	877.47	(121.93)	
27	દરિસ્ત હોટલ, જાયપુર	29.07	56.55	(27.48)	8.74	10.89	(2.15)	11.92	14.24	(2.32)	0.78	23.57	(22.79)	50.51	105.25	(54.74)	
28	ટાઇગર ડેન, સારિસ્કા	190.27	130.74	59.53	157.24	120.94	36.30	7.15	10.73	(3.58)	7.73	96.82	(89.09)	362.39	359.23	3.16	
29	મોટલ, શાહપુરા	27.48	50.84	(23.36)	38.98	40.92	(1.94)	0.00	0.00	0.00	0.20	26.19	(25.99)	66.66	117.95	(51.29)	
30	લેક પૈલેસ, સિલિસેડ	85.64	96.55	(10.91)	126.32	107.92	18.40	3.77	7.80	(4.03)	53.90	100.39	(46.49)	269.63	312.66	(43.03)	
31	પણા, ચિત્રોડ-ગઢ	152.94	178.41	(25.47)	77.22	77.95	(0.73)	86.00	62.26	23.74	10.25	76.18	(65.93)	326.41	394.80	(68.39)	
32	મોટલ, દેવાડ	7.79	15.86	(8.07)	11.13	33.91	(22.78)	0.00	0.00	0.00	0.23	13.28	(13.05)	19.15	63.05	(43.90)	
33	શિસ્કા, માઠકાંટ આબુ	388.17	185.70	202.47	179.09	122.75	56.34	3.88	12.17	(8.29)	7.81	145.02	(137.21)	578.95	465.64	113.31	
34	ગોકુલ, નાશદ્વારા	95.74	102.12	(6.38)	54.82	51.09	3.73	58.46	50.13	8.33	0.47	41.05	(40.58)	209.49	244.39	(34.90)	
35	યાત્રિકા, નાથદ્વારા	3.36	9.01	(5.65)	0.15	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	(3.07)	3.51	12.15	(8.64)	
36	શિલ્પી, રણકપુર	33.19	44.47	(11.28)	24.68	26.73	(2.05)	0.00	0.00	0.00	0.66	34.31	(33.65)	58.53	105.51	(46.98)	
37	મોટલ, રાતનપુર	12.26	36.83	(24.57)	49.04	57.39	(8.35)	71.56	56.32	15.24	0.35	21.45	(21.10)	133.21	171.99	(38.78)	
38	ગવરી, ક્રાષ્ણદેવ	23.17	45.27	(22.10)	25.40	41.13	(15.73)	1.27	2.13	(0.86)	0.37	22.04	(21.67)	50.21	110.57	(60.36)	

31 मार्च 2013 को समात वर्ष के लिए लेशपरिका प्रतिवेदन संख्या 1 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण)

क्र. सं.	इकाई का नाम	आवास			खानपान			वार			परिवहन, नौकायन, काउटर आय, सामान्य व्यय एवं समस्त व रखरखाव के शामिल करते हुए अन्य			कुल आय	कुल व्यय	शुद्ध संचालन लाप/(हानि)	
		आय	व्यय	शुद्ध अधिष्ठ/ कमी	आय	व्यय	शुद्ध अधिष्ठ/ कमी	आय	व्यय	शुद्ध अधिष्ठ/ कमी	कुल आय	कुल व्यय					
39	फर्जी, उदयपुर	528.41	306.09	222.32	163.79	137.38	26.41	150.68	111.73	38.95	95.07	241.06	(145.99)	937.95	796.26	141.69	
40	होटल, झुझुटू	13.29	33.53	(20.24)	1.61	11.35	(9.74)	0.00	0.00	26.43	13.79	12.64		41.33	58.67	(17.34)	
41	भोटल, दैसा	5.96	5.30	0.66	8.56	66.83	(58.27)	0.00	0.00	0.00	19.15	(19.12)		14.55	91.28	(76.73)	
42	घिरनी, छुरु	2.08	34.71	(32.63)	0.09	0.82	(0.73)	0.00	0.00	0.00	7.50	(7.50)		2.17	43.03	(40.86)	
43	मावठ, आमेर	0.00	0.00	0.00	2.93	12.84	(9.91)	0.00	0.00	0.00	2.85	(2.85)		2.93	15.69	(12.76)	
44	चान्द्रबती, झालावाड़	29.94	30.76	(0.82)	16.90	14.06	2.84	0.00	0.00	0.00	1.35	(13.13)		48.19	59.30	(11.11)	
45	गावडी, झालावाड़	71.20	42.98	28.22	64.28	41.70	22.58	2.20	9.98	(7.78)	0.19	34.44	(34.25)		137.87	129.10	8.77
46	ऐन बरेशा, झालावाड़	0.00	1.90	(1.90)	0.00	0.65	(0.65)	0.00	0.00	0.00	0.23	(0.23)		0.00	2.78	(2.78)	
47	कुरजा, नागर	2.62	29.54	(26.92)	3.57	11.13	(7.56)	0.00	0.00	0.02	9.92	(9.90)		6.21	50.59	(44.38)	
48	गोदा, टी.पी. पुर्खर	9.71	42.14	(32.43)	1.97	5.80	(3.83)	0.00	0.00	0.00	12.04	(12.04)		11.68	59.98	(48.30)	
49	लकड़ाल, बड़मेर	0.35	15.48	(15.13)	0.07	0.17	(0.10)	0.00	0.00	0.00	5.70	(5.67)		0.45	21.35	(20.90)	
	कुल (अ)	6227.88	5154.09	1073.79	5628.47	5220.55	407.92	1913.01	1616.14	296.87	879.01	3439.30	(2560.29)	14648.37	15430.08	(781.71)	
(ब) विलसिता पर्यटक द्वेष																	
1	पैलेस ऑन क्लिंप्स													9933.37	5551.27	4382.10	
2	हैरिटेज ऑन क्लिंप्स													137.97	207.35	(69.38)	
3	राँची राजस्थान ऑन क्लिंप्स													4455.94	4468.54	(12.60)	
	कुल (ब)													14527.28	10227.16	4300.12	
(स) परिवहन व पेट्रोज द्वे																	
1	पैकेज ट्रू, नई दिल्ली													2470.26	2346.63	123.63	
2	यात्रायात इकाई, जयपुर													531.85	646.66	(114.81)	
	कुल (स)													3002.11	2993.29	8.82	

अनुबन्ध-9
(अनुच्छेद संख्या 2.9 में संदर्भित)

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान संचालित होटल्स/मोटल्स की परिचालनात्मक लाभदायकता को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(₹ लाख में)

क्र सं.	इकाई का नाम	अधिशेष/घाटा (-)						
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल	घाटे वाले वर्ष
1	मोटल, बर	-13.24	-20.58	-24.09	-23.61	-20.65	-102.17	5
2	वृदावति, बूदी	-8.80	-7.13	-8.74	-7.27	-4.46	-36.39	5
3	चम्बल, कोटा	-7.74	-9.21	-11.76	-10.29	-11.15	-50.15	5
4	सरोवर, पुष्कर	-5.18	-7.29	-18.99	-10.34	-18.11	-59.91	5
5	टूरिस्ट विलेज, पुष्कर	-10.24	-6.66	-14.20	-15.46	-18.55	-65.11	5
6	ढोलामारु, बीकानेर	-4.56	-16.72	-14.48	-11.73	-5.42	-52.91	5
7	हवेली, फतेहपुर	-6.67	-10.98	-18.04	-15.26	-16.09	-67.04	5
8	मोटल, रतनगढ़	-8.72	-10.22	-7.30	-9.13	-9.78	-45.15	5
9	मोटल, पोकरण	-4.80	-4.38	-8.81	-6.92	-1.30	-26.21	5
10	सारस, भरतपुर	-27.22	-29.38	-44.75	-33.93	-41.87	-177.15	5
11	मोटल, धौलपुर	-4.55	-6.07	-11.34	-12.33	-11.03	-45.32	5
12	झील रामगढ़, जयपुर	-6.01	-8.85	-14.91	-19.30	-17.11	-66.18	5
13	स्वागतम, जयपुर	-4.08	-24.70	-53.39	-37.51	-45.52	-165.20	5
14	मोटल, महुआ	-25.41	-27.20	-40.98	-49.56	-50.54	-193.69	5
15	मीनल, अलवर	-15.05	-18.78	-25.93	-9.34	-9.43	-78.53	5
16	दुर्ग कैफे, जयपुर	-16.96	-22.97	-32.62	-36.74	-39.07	-148.36	5
17	मोटल, शाहपुरा	-9.64	-9.36	-13.65	-10.80	-7.84	-51.29	5
18	लेक पैलेस, सिलीसेड़	-9.51	-2.34	-11.24	-9.10	-10.84	-43.03	5
19	पन्ना, चित्तौड़	-2.21	-2.64	-18.33	-24.32	-20.89	-68.39	5
20	मोटल, देवगढ़	-6.47	-6.57	-9.56	-8.33	-12.97	-43.90	5
21	गोकुल, नथद्वारा	-5.90	-3.89	-8.62	-12.38	-4.11	-34.90	5
22	शिल्पी, रणकपुर	-5.93	-7.01	-12.94	-11.72	-9.38	-46.98	5
23	मोटल, रतनपुर	-4.43	-6.53	-7.45	-11.43	-8.94	-38.78	5
24	गवरी, ऋषभदेव	-6.97	-10.07	-12.52	-15.81	-14.99	-60.36	5
25	होटल, झुंझुनू	-3.94	-4.00	-5.33	-2.02	-2.05	-17.34	5
26	मोटल, दौसा	-9.89	-10.36	-19.74	-17.76	-18.98	-76.73	5
27	चिरमी, चुरु	-5.09	-7.79	-8.62	-9.92	-9.44	-40.86	5
28	कुरजा, नागौर	-8.96	-7.26	-7.91	-8.43	-11.82	-44.38	5
29	स्वङ्गताल, बाड़मेर	-3.60	-3.95	-3.63	-5.25	-4.47	-20.90	5
कुल		-251.77	-312.89	-489.87	-455.99	-456.79	-1967.31	

(₹ लाख में)

क्र सं.	इकाई का नाम	अधिशेष/घाटा(-)						
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल	घाटे वाले वर्ष
1	पनिहारिन, पाली	-3.81	-6.22	-12.09	-11.27	3.05	-30.35	4
2	तीज, जयपुर	3.42	-5.06	-27.30	-31.11	-61.88	-121.93	4
3	चन्द्रावती, झालावाड़	-0.23	1.37	-2.82	-3.65	-5.78	-11.11	4
	कुल	-0.62	-9.91	-42.21	-46.03	-64.61	-163.38	

(₹ लाख में)

क्र सं.	इकाई का नाम	अधिशेष/घाटा (-)						
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल	घाटे वाले वर्ष
1	गणगौर, जयपुर	55.21	32.78	-18.81	-23.46	-52.44	-6.72	3
2	यात्रिका, नाथद्वारा	-3.63	-3.17	-1.84	0.00	0.00	-8.64	3
3	गनेढ़ा टी.वी., पुष्कर	0.00	0.00	-21.43	-14.58	-12.29	-48.30	3
4	सङ्गताल, बाड़मेर	-3.60	-3.95	-3.63	-5.25	-4.47	-20.90	3
	कुल	47.98	25.66	-45.71	-43.29	-69.19	-84.55	

(₹ लाख में)

क्र सं.	इकाई का नाम	अधिशेष/घाटा (-)						
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल	घाटे वाले वर्ष
1	सीजेबी, सवाईमाधोपुर	-1.80	0.32	-7.59	9.01	23.39	23.33	2
2	ट्रिस्ट होटल, जयपुर	-37.01	-17.73	0.00	0.00	0.00	-54.74	2
3	टाइगर डेन, सरिस्का	-3.04	-1.18	0.41	3.95	3.02	3.16	2
4	मावठ, आमेर	-9.93	-2.83	0.00	0.00	0.00	-12.76	2
	कुल	-51.78	-21.42	-7.18	12.96	26.41	-41.02	

(₹ लाख में)

क्र सं.	इकाई का नाम	अधिशेष/घाटा (-)						
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल	घाटे वाले वर्ष
1	मूमल, जैसलमेर	17.33	7.00	17.81	27.93	-2.21	67.86	1
2	विनायक, सवाईमाधोपुर	0.97	4.50	-3.66	8.64	24.62	35.07	1
3	घूमर, जोधपुर	18.84	4.29	-8.02	31.48	6.37	52.96	1
4	गावड़ी, झालावाड़	1.50	5.38	-5.43	2.13	5.19	8.77	1
5	रैन बसेरा, झालावाड़	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.78	-2.78	1
	कुल	38.64	21.17	0.70	70.18	31.19	161.88	

(₹ लाख में)

क्र सं.	इकाई का नाम	अधिशेष/घाटा (-)						
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल	घाटे वाले वर्ष
1	समधणी, जैसलमेर	4.51	3.05	1.75	1.21	11.34	21.86	0
2	स्वादिम, अजमेर	32.78	44.83	46.21	55.07	61.20	240.09	0
3	मोटल, बहरोड़	117.89	102.35	251.83	204.18	98.56	774.81	0
4	शिसर, माऊन्ट आबू	13.86	13.85	8.35	27.51	49.74	113.31	0
5	कजरी, उदयुपर	19.02	22.51	14.05	51.23	34.88	141.69	0
कुल		188.06	186.59	322.19	339.20	255.72	1291.76	

अनुबन्ध-10
(अनुच्छेद संख्या 2.11 में संदर्भित)

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान गतिविधि-वार बजटीय लक्ष्यों की उपलब्धि को दर्शाने
वाला विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

गतिविधि/वर्ष		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आवास	बजटीय आय	11.78	12.82	14.74	14.04	16.53
	बजटीय व्यय	6.38	7.32	8.76	10.67	12.41
	अधिशेष/(कमी)	5.40	5.50	5.98	3.37	4.12
	वास्तविक आय	11.15	11.72	11.80	13.48	14.12
	वास्तविक व्यय	7.28	8.67	10.94	12.10	12.56
	अधिशेष / (कमी)	3.87	3.05	0.86	1.38	1.56
स्थानपान	बजटीय आय	8.90	9.85	10.79	12.65	15.33
	बजटीय व्यय	7.09	8.09	8.76	10.35	12.78
	अधिशेष/(कमी)	1.81	1.76	2.03	2.30	2.55
	वास्तविक आय	8.73	9.30	11.68	14.07	12.50
	वास्तविक व्यय	8.17	8.76	10.30	12.33	12.64
	अधिशेष / (कमी)	0.56	0.54	1.38	1.74	(0.14)
बार	बजटीय आय	3.29	3.54	7.25	6.41	5.41
	बजटीय व्यय	2.48	2.62	6.05	4.75	3.95
	अधिशेष/(कमी)	0.81	0.92	1.20	1.66	1.46
	वास्तविक आय	2.62	2.54	4.33	5.13	4.51
	वास्तविक व्यय	2.23	2.13	3.86	4.36	3.58
	अधिशेष / (कमी)	0.39	0.41	0.47	0.77	0.93
यातायात व नौकायान	बजटीय आय	1.91	2.19	2.37	4.06	3.20
	बजटीय व्यय	1.64	1.86	2.11	2.78	2.40
	अधिशेष/(कमी)	0.27	0.33	0.26	1.28	0.80
	वास्तविक आय	1.53	1.48	5.26	16.47	6.89
	वास्तविक व्यय	1.72	1.66	5.18	15.62	6.65
	अधिशेष/(कमी)	(0.19)	(0.18)	0.08	0.85	0.24
पीओडब्ल्यू	बजटीय आय	19.20	19.55	26.00	22.00	21.50
	बजटीय व्यय	10.45	10.46	14.00	11.00	11.40
	अधिशेष/(कमी)	8.75	9.09	12.00	11.00	10.10
	वास्तविक आय	19.35	20.15	20.07	17.49	22.28
	वास्तविक व्यय	10.55	10.71	10.74	10.87	12.64
	अधिशेष/(कमी)	8.80	9.44	9.33	6.62	9.64
आरआरओडब्ल्यू	बजटीय आय	-	13.70	15.50	15.00	20.60
	बजटीय व्यय	-	8.92	15.79	15.20	20.33
	अधिशेष/(कमी)	-	4.78	(0.29)	(0.20)	0.27
	वास्तविक आय	-	0.97	12.64	14.42	16.53
	वास्तविक व्यय	-	2.52	13.26	14.30	14.60
	अधिशेष/(कमी)	-	(1.55)	(0.62)	0.12	1.93

अनुबन्ध-11
(अनुच्छेद संख्या 2.12 में संदर्भित)

**वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान आवास गतिविधि से इकाई-वार लाभदायकता को
दर्शाने वाला विवरण पत्र**

(₹ लाख में)

क्र सं.	इकाई का नाम	अधिशेष/(घाटा)						घाटे वाले वर्ष
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल योग	
1	मोटल, बर	(1.10)	(1.48)	(2.12)	(0.21)	(2.68)	(7.59)	5
2	बृंदावति, बृंदी	(5.38)	(3.65)	(5.68)	(4.84)	(1.91)	(21.46)	5
3	टूरिस्ट विलेज, पुष्कर	(1.72)	(1.78)	(6.02)	(9.34)	(7.41)	(26.27)	5
4	हवेली, फतेहपुर	(2.43)	(3.50)	(4.72)	(7.19)	(8.54)	(26.38)	5
5	मोटल, रत्नगढ़	(2.74)	(4.17)	(2.92)	(4.58)	(5.87)	(20.28)	5
6	सारस, भरतपुर	(6.30)	(10.49)	(10.54)	(10.00)	(15.64)	(52.97)	5
7	मोटल, धौलपुर	(2.64)	(4.10)	(7.90)	(9.45)	(8.51)	(32.60)	5
8	झील रामगढ़, जयपुर	(0.55)	(2.09)	(9.19)	(12.70)	(9.12)	(33.65)	5
9	मोटल, महुआ	(3.74)	(4.03)	(5.87)	(7.85)	(8.11)	(29.60)	5
10	मोटल, शाहपुरा	(4.06)	(5.83)	(5.55)	(6.62)	(1.30)	(23.36)	5
11	लेक पैलेस, सिलीसेड	(0.77)	(1.31)	(3.34)	(2.52)	(2.97)	(10.91)	5
12	मोटल, देवगढ़	(1.37)	(1.46)	(1.11)	(2.05)	(2.08)	(8.07)	5
13	शिल्पी, रणकपुर	(1.24)	(3.14)	(3.19)	(1.42)	(2.29)	(11.28)	5
14	गवरी, ऋषभदेव	(0.69)	(2.35)	(4.00)	(6.17)	(8.89)	(22.10)	5
15	होटल, झुंझुनू	(3.14)	(3.35)	(4.34)	(3.84)	(5.57)	(20.24)	5
16	चिरमी, चुरू	(3.13)	(5.93)	(7.20)	(8.37)	(8.00)	(32.63)	5
17	कुरजा, नागौर	(4.32)	(4.69)	(4.98)	(4.97)	(7.96)	(26.92)	5
18	सड़ताल, बाड़मेर	(2.34)	(2.80)	(2.22)	(4.18)	(3.59)	(15.13)	5
19	चम्बल, कोटा	1.41	(0.99)	(2.00)	(1.48)	(1.71)	(4.77)	4
20	मोटल, पोकरण	(0.78)	(1.07)	(2.51)	(3.47)	6.35	(1.48)	4
21	मोटल, रत्नपुर	(4.89)	(6.79)	(7.51)	(6.42)	1.04	(24.57)	4
22	सरोवर, पुष्कर	7.53	3.93	(7.71)	(0.37)	(1.24)	2.14	3
23	झोलामारू, बीकानेर	5.14	1.88	(10.88)	(9.79)	(1.41)	(15.06)	3
24	पनिहारिन, पाली	3.10	(0.44)	(1.23)	(4.41)	5.21	2.23	3
25	स्वागतम, जयपुर	20.46	6.82	(20.96)	(11.91)	(12.56)	(18.15)	3
26	मीनल, अलवर	(5.86)	(9.26)	(7.38)	2.41	2.16	(17.93)	3
27	पन्ना, वित्तोड़गढ़	5.29	1.40	(8.18)	(12.95)	(11.03)	(25.47)	3
28	गोकुल, नाथद्वारा	(0.74)	1.20	(3.53)	(4.99)	1.68	(6.38)	3
29	यात्रिका, नाथद्वारा	(2.37)	(2.01)	(1.27)	सं.न.	सं.न.	(5.65)	3

क्र सं.	इकाई का नाम	अधिशेष/(घाटा)						
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल योग	घाटे वाले वर्ष
30	गनेझा,ठी.वी.,पुष्कर	सं.न.	सं.न.	(14.11)	(8.65)	(9.67)	(32.43)	3
31	तीज, जयपुर	43.93	34.25	2.50	(5.00)	(22.79)	52.89	2
32	टूरिस्ट होटल, जयपुर	(18.06)	(9.42)	सं.न.	सं.न.	सं.न.	(27.48)	2
33	चन्द्रावती, झालावाड़	1.18	2.09	0.01	(0.90)	(3.20)	(0.82)	2
34	समधणी, जैसलमेर	4.94	1.90	4.19	(0.21)	9.68	20.50	1
35	मोटल, दौसा	0.37	0.42	1.15	(1.64)	0.36	0.66	1
36	ऐन बस्तेरा, झालावाड़	सं.न.	सं.न.	सं.न.	सं.न.	(1.90)	(1.90)	1
37	स्वादिम, अजमेर	50.14	54.27	43.34	43.69	55.97	247.41	0
38	मूमल, जैसलमेर	32.69	23.20	30.67	32.81	10.15	129.52	0
39	घूमर, जोधपुर	60.75	51.80	23.17	42.73	31.35	209.80	0
40	गणगौर, जयपुर	85.74	77.77	23.26	18.54	7.57	212.88	0
41	सीजेबी, सवाईमाधोपुर	10.95	8.83	11.79	18.80	27.77	78.14	0
42	विनायक, सवाईमाधोपुर	10.71	11.59	12.31	20.95	31.92	87.48	0
43	मोटल, बहरोड़	31.43	24.95	24.53	18.78	14.96	114.65	0
44	दुर्ग कैफे, जयपुर	2.99	1.50	0.81	0.33	0.83	6.46	0
45	टाइगर डेन, सरिस्का	7.96	8.90	13.42	14.51	14.74	59.53	0
46	शिसर, माऊन्ट आबू	32.27	28.62	36.42	44.45	60.71	202.47	0
47	कजरी, उदयपुर	43.89	47.52	35.84	52.26	42.81	222.32	0
48	गावड़ी, झालावाड़	4.32	8.56	1.50	6.81	7.03	28.22	0

सं.न. संचालित नहीं

अनुबन्ध-12

(अनुच्छेद संख्या 2.29 में संदर्भित)

वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं, स्वीकृत राशि, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा कम्पनी को जारी की गई राशि, उपयोग की गई राशि एवं परियोजनाओं की पूर्णता स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	भारत सरकार द्वारा परियोजना को स्वीकृत किये जाने की तिथि	पर्यटन विभाग द्वारा जारी की गई राशि	कम्पनी निषादित किये जाने वाले कार्य	31.03.13 तक किया गया कुल व्यय	स्वीकृति के अनुसार परियोजना की पूर्णता तिथि	परियोजना की पूर्णता पूर्णता में देरी (माह में)
1.	मेवाड़ परिसर का विकास, हल्डीघाटी	02 दिसम्बर 2003	2.48	2.48	2.48	ल.न.	10 सितम्बर 2008
2.	एन्सीआर पर्यटक सर्किट का विकास	15 फरवरी 2005	7.38	5.26	5.55	14 फरवरी 2007	31 अक्टूबर 2010
3.	हाइटी क्षेत्र पर्यटक सर्किट का विकास	22 फरवरी 2005	7.25	5.03	5.51	21 फरवरी 2007	31 मार्च 2009
4.	मेवाड़ बागड़ सर्किट का एकीकृत विकास	20 दिसम्बर 2005	5.80	4.12	4.38	19 जून 2007	18 अप्रैल 2009
5.	पुष्कर(अजमेर) का एकीकृत विकास	28 दिसम्बर 2005	4.68 ¹	2.86	3.39	2.90	27 दिसम्बर 2007
6.	बृज भूमि धार्मिक पर्यटन सर्किट का विकास	28 दिसम्बर 2005	4.77	4.09	4.77	3.66	27 दिसम्बर 2007
7.	स्मारकों की पत्तड़ लाईटिंग का विकास	13 अगस्त 2007	8.00	7.56	8.00	7.43	12 अगस्त 2009
8.	शोसावाटी का विकास	20 नवम्बर 2007	7.54	5.02	7.54	4.50	19 नवम्बर 2009
9.	अंजमेर-पुष्कर का एक बड़े पर्यटक स्थल के रूप में विकास	20 फरवरी 2009	3.01	2.10	2.84	2.12	19 फरवरी 2012
10.	आरटीडीसी की वे-साइड सुविधाओं का निर्माण	22 मार्च 2010	6.06	4.00	6.06	4.00	17 मई 2011
							31 अप्रैल 2011
							03

1 ₹ 4.34 करोड़ दिसम्बर 2005 में रखीरुत किये गये एवं ₹ 0.34 करोड़ सितम्बर 2009 में स्वीकृत किये गये।

अनुबन्ध-13

(अनुच्छेद संख्या 3.6 में संदर्भित)

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान वित्तीय स्थिति एवं कार्यवालन परिणामों को दर्शाने वाला विवरण पत्र
वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कोष के स्रोत					
अंश पूँजी	86.52	110.08	110.08	110.08	135.73
संचय व अधिशेष	60.70	60.70	61.70	62.70	268.16
बाण्डस व ऋणपत्र	124.80	111.88	74.95	31.50	300.00
उधारियाँ	664.90	667.08	690.79	638.61	52.45
जमा	59.77	72.00	82.44	95.31	89.68
अन्य दायित्व	188.66	189.27	187.70	194.39	193.06
प्रावधान	32.21	28.13	37.27	14.41	27.06
कुल योग	1217.56	1239.14	1244.93	1147.00	1066.14
कोषों का उपयोग					
नकद व बैंक शेष	57.32	54.45	72.84	32.40	97.22
निवेश	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
ऋण व अग्रिम	998.74	917.15	924.27	888.27	731.41
स्थायी सम्पत्तियाँ	3.34	3.20	3.16	3.12	2.95
अन्य सम्पत्तियाँ	103.48	105.12	107.89	91.32	103.36
लाभ व हानि विनियोग खाता (संचित हानियाँ)	53.58	158.12	135.67	130.79	130.10
कुल योग	1217.56	1239.14	1244.93	1147.00	1066.14

कार्यवालन परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आय					
परिचालन से आय	133.72	128.76	131.86	128.03	111.63
अन्य आय	5.94	5.13	6.60	5.51	12.38
कुल योग (अ)	139.66	133.89	138.46	133.54	124.01
व्यय					
ब्याज व्यय	76.52	72.80	69.57	70.73	35.69
अन्य वित्तीय व्यय	13.69	11.29	7.63	5.90	7.44
कार्मिक व्यय	37.32	44.42	45.27	49.73	54.44
प्रशासनिक व्यय	3.14	3.18	3.01	2.28	13.56
कुल योग (ब)	130.67	131.68	125.48	128.64	111.13
परिचालन लाभ (स = अ-ब)	8.99	2.21	12.98	4.90	12.88
प्रावधान					
एनपीए हेतु प्रावधान/(वापसी लेखा)	1.00	104.76	(21.64)	(6.95)	(10.21)
सेवानिवृत्ति परिलाभों हेतु प्रावधान	5.00	2.00	10.00	3.64	15.00
मानक सम्पत्तियों हेतु आकस्मिक प्रावधान (आरक्षित)	0.15	(0.17)	0.16	1.96	(0.32)
कुल प्रावधान (द)	6.15	106.59	(11.48)	(1.35)	4.47
कर पूर्व लाभ/हानि (स-द)	2.84	(104.38)	24.46	6.25	8.41
घटायें कर हेतु प्रावधान	0.48	0.16	1.01	0.37	5.01
कर पश्चात लाभ/(हानि)	2.36	(104.54)	23.45	5.88	3.40

अनुबन्ध-14

(अनुच्छेद संख्या 3.14 में संदर्भित)

राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 26, 29, 30, 31 एवं 32-जी के विभिन्न प्रावधानों को दर्शाने वाला विवरण पत्र

धारा 26 समायोजन की सीमा

राज्य वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, 2000 को लागू किये जाने पर एवं से, धारा 25 की उप-धारा (1) के वाक्यांश (ए), (डी) अथवा (एच) के तहत वित्त निगम किसी औद्योगिक इकाई के साथ किन्हीं व्यवस्थाओं में नहीं जा सकता जो कि ऐसी सभी व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में उस इकाई के अंशों व स्कन्ध, चाहे आवेदित हो अथवा आवेदन करने हेतु सहमति हो, के अंकित मूल्य की राशि सहित, अभिगोपन अनुबन्धों एवं आरथगित भुगतान गारण्टीयों के पेटे बकाया दायित्व की कुल राशि निम्न से अधिक हो:

(1) किसी कानून के तहत अथवा द्वारा स्थापित निगम या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में परिभाषित एक कम्पनी अथवा सहकारी समिति अधिनियम, 1912 (1912 का 2) या तत्समय सहकारी समिति से सम्बद्ध कोई अन्य प्रवृत्त कानून के तहत पंजीकृत सहकारी समिति के मामले में पाँच सौ लाख रुपये; एवं

(2) किसी अन्य मामलों में दो सौ लाख रुपये:

बशर्ते कि वित्त निगम ने लघु औद्योगिक बैंक की पूर्व अनुमति से वाक्यांश (1) अथवा (2) के तहत सीमा चार गुणा तक बढ़ा दी हो।

धारा 29 चूक के मामले में वित्त निगम के अधिकार

(1) जहाँ कोई औद्योगिक इकाई, जो कि एक अनुबन्ध के तहत वित्त निगम के प्रति उत्तरदायी है, किसी ऋण या अग्रिम या उसकी कोई किश्त के पुनर्भुगतान में चूक करने पर अथवा निगम द्वारा दी गई किसी गारण्टी के सम्बन्ध में इसकी बाध्यताओं की पूर्ति करने में अथवा वित्त निगम के साथ हुये इसके अनुबन्ध की शर्तों की अनुपालना में अन्यथा विफल रहने पर, वित्त निगम को औद्योगिक इकाई का प्रबन्धन अपने हाथ में लेने अथवा अधिग्रहण अथवा दोनों के अधिकार के साथ ही साथ लीज या विक्रय द्वारा हस्तान्तरण का अधिकार एवं वित्त निगम को रेहन, गिरवी, बन्धक या सुपुर्द की गई सम्पत्ति से वसूली का अधिकार है।

(2) उप-धारा (1) के तहत इसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुये, वित्त निगम द्वारा किये गये सम्पत्ति के किसी हस्तान्तरण से हस्तान्तरित सम्पत्ति में सभी अधिकार, जैसा कि सम्पत्ति के स्वामी द्वारा किये गये हस्तान्तरण में था, हस्तान्तरिती में निहित होंगे।

(3) वित्त निगम को इसके द्वारा प्रतिभूति के रूप में रखे गये माल से, निर्मित अथवा पूर्ण या आंशिक उत्पादित माल के सम्बन्ध में वही अधिकार व शक्तियाँ होगी, जैसा कि यह मूल माल के सम्बन्ध में रखता था।

(4) जहाँ उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत किसी औद्योगिक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई हो, सभी लागतें, प्रभार एवं व्यय, जो कि उस तक प्रासंगिक रूप में, वित्त निगम की राय में इसके द्वारा उचित रूप से किये गये हों, औद्योगिक इकाई से वसूलनीय होंगे एवं राशि

जोकि इसके द्वारा प्राप्त की गई हो, किसी संविदा की प्रतिकूलता के अभाव में, इसके द्वारा सद्-विश्वास में रखी जायेगी जो कि प्रथमतः ऐसी लागतों, प्रभारों एवं व्ययों के भुगतान में, एवं द्वितीय वित्त निगम को देय ऋण के निस्तारण में, एवं ऐसी प्राप्त राशि का शेष इसके हकदार व्यक्ति को भुगतान किया जायेगा।

(5) जहाँ वित्त निगम उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत एक औद्योगिक इकाई के विरुद्ध कोई कार्यवाही करता है, वित्त निगम इकाई द्वारा अथवा इसके विरुद्ध मुकदमे के उद्देश्य हेतु ऐसी इकाई का स्वामी होगा, एवं इकाई के नाम से मुकदमा कर सकेगा तथा इस पर मुकदमा किया जा सकेगा।

धारा 30 नियत अवधि से पूर्व पुनर्भुगतान मांगे जाने की शक्ति

किसी अनुबन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य होने के बावजूद, वित्त निगम लिखित में नोटिस द्वारा, किसी औद्योगिक इकाई को, जिसे इसने ऋण अथवा अग्रिम प्रदान किया है, वित्त निगम के प्रति इसके उत्तरदायित्वों को पूर्ण रूप से तुरन्त निस्तारण करने हेतु कह सकता है,

(ए) यदि मण्डल को यह प्रतीत होता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा, इसके ऋण अथवा अग्रिम के आवेदन-पत्र में, किसी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, असत्य अथवा भ्रामक सूचना दी गई है; अथवा

(बी) यदि औद्योगिक इकाई, वित्त निगम के साथ ऋण अथवा अग्रिम के मामले में, इसकी संविदा की शर्तों की अनुपालना में असफल रहती है; अथवा

(सी) यदि इस बात की तर्कसंगत आशका है कि औद्योगिक इकाई इसके ऋणों के भुगतान में असमर्थ है अथवा उसके समापान की कार्यवाही प्रारम्भ हो सकती है; अथवा

(डी) यदि वित्त निगम को ऋण अथवा अग्रिम हेतु प्रतिभूति के रूप में रेहन, गिरवी, बन्धक या सुपुर्द की गई सम्पत्ति का बीमा नहीं है एवं वित्त निगम की सन्तुष्टि हेतु औद्योगिक इकाई द्वारा बीमित नहीं रखी गई है अथवा इस सीमा तक कीमतों में ह्रास हुआ है कि मण्डल की राय में, मण्डल की सन्तुष्टि हेतु और प्रतिभूति देनी चाहिये एवं ऐसी प्रतिभूति नहीं दी गई हो; अथवा

(ई) यदि, मण्डल की अनुमति के बिना, कोई मशीनरी, संयंत्र अथवा अन्य उपकरण, जो प्रतिभूति अथवा अन्यथा के भाग के रूप में हों, बिना पुर्नस्थापना के औद्योगिक इकाई के परिसर से हटा दिये गये हों; अथवा

(एफ) यदि किसी कारण से, वित्त निगम के हितों की सुरक्षा हेतु यह आवश्यक हो।

धारा 31 वित्त निगम द्वारा दावों के प्रवर्तन हेतु विशेष प्रावधान

जहाँ एक औद्योगिक इकाई, किसी अनुबन्ध के उल्लंघन में, किसी ऋण अथवा अग्रिम अथवा इसकी किश्त के पुनर्भुगतान में कोई चूक करती है अथवा निगम द्वारा दी गई किसी गारण्टी के सम्बन्ध में बाध्यता की पूर्ति करने में अथवा वित्त निगम के साथ इसके अनुबन्ध की शर्तों की अनुपालना में अन्यथा विफल रहने पर अथवा जहाँ वित्त निगम ने धारा 30 के तहत औद्योगिक इकाई को किसी ऋण या अग्रिम के तुरन्त पुनर्भुगतान करने हेतु कहा हो एवं औद्योगिक इकाई ऐसा पुनर्भुगतान करने में असफल रही हो, तब इस अधिनियम की

धारा 29 के प्रावधानों एवं सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 69 के प्रावधानों पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना वित्त निगम का कोई अधिकारी, इस सम्बन्ध में मण्डल द्वारा सामान्यतः या विशेष रूप से अधिकृत, जिला न्यायाधीश, जिसके अधिकार-क्षेत्र की सीमाओं के भीतर औद्योगिक इकाई इसके व्यवसाय का सम्पूर्ण अथवा सारभूत भाग संचालित करती है, के पास एक अथवा अधिक राहतों, मुख्य रूप से निम्नलिखित, हेतु निवेदन कर सकता है;

(ए) ऋण अथवा अग्रिम हेतु प्रतिभूति के रूप में, वित्त निगम के पास रेहन, गिरवी, बन्धक या सुर्पुद की गई सम्पत्ति के विक्रय के लिये आदेश हेतु; अथवा

(एए) किसी प्रतिभूति के दायित्व के प्रवर्तन हेतु; अथवा

(बी) औद्योगिक इकाई का प्रबन्धन वित्त निगम को हस्तान्तरित करने हेतु; अथवा

(सी) औद्योगिक इकाई को इसकी मशीनरी या संयंत्र या उपकरण मण्डल की अनुमति के बिना औद्योगिक इकाई के परिसर से हस्तान्तरित करने अथवा हटाने से प्रतिबन्धित करने हेतु अन्तरिम आदेश हेतु, जहाँ इसे हटाये जाने की आशंका हो।

(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत किये जाने वाले आवेदन में, वित्त निगम के प्रति औद्योगिक इकाई के दायित्व की प्रकृति एवं सीमा, आवेदन पत्र का आधार एवं अन्य आवश्यक विवरण सम्मिलित होंगे।

32जी वित्त निगम को देय राशि की भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली

जहाँ वित्त निगम द्वारा किसी औद्योगिक इकाई को प्रदान किये गये समायोजन के सम्बन्ध में इसको कोई राशि देय है, वित्त निगम अथवा इसके द्वारा, इस सम्बन्ध में लिखित में, अधिकृत कोई व्यक्ति, वसूली के किसी अन्य तरीके पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना इसको देय राशि की वसूली हेतु राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा, एवं यदि राज्य सरकार अथवा ऐसा प्राधिकारी, जिसे राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट किया हो, ऐसी निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण के पश्चात् सन्तुष्ट है तो देय राशि हेतु यह जिलाधीश को एक प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगा एवं जिलाधीश उस राशि को भू-राजस्व का बकाया के रूप में वसूल करने हेतु कार्यवाही करेगा।

अनुबन्ध-15

(अनुच्छेद संख्या 3.17 एवं 3.18 में संदर्भित)

31 मार्च 2013 को अधिग्रहित इकाईयों की स्थिति को दर्शने वाला विवरण पत्र

पाँच वर्षों तक अधिग्रहण में रही इकाईयाँ

क्र.सं.	शाखा का नाम	उदाहरकर्ता इकाई का नाम	अधिग्रहण की तिथि	बकाया देयतावर्ती				नवीनतम एमआरवी	बकाया देयतावर्ती से एमआरवी में कमी
				मूलधन	ब्याज	अन्य लाभ	कुल		
1	जयपुर (शहर)	होटल मूर्य महल पैलेस	4 मई 2012	83.28	330.45	2.54	416.27	1325.22	
2	अलवर	ए एंड वी ग्रास इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, अलवर	10 जुलाई 2012	57.45	7.16	0.05	64.66	122.59	
3	उदयपुर	जैन बस्य स्टेट रिसोर्ट (प्राईवेट) लिमिटेड	19 नवम्बर 2012	241.54	305.01	0.04	546.59	1467.45	
4	जयपुर (ग्रामीण)	बालाजी डेयरी	1 नवम्बर 2012	14.00	1.12	0.02	15.14	38.36	
5	मिवाड़ी	ऐप्स हाईजिन (इंडिया) लिमिटेड	28 मार्च 2013	37.50	70.8	0.08	745.58	101.04	644.54
6	वीकेआईए	शिव शिवित इंडस्ट्रीज	मार्च 2013	55.52	1.69	0.30	57.51	92.9	
7	टॉक	झौक बंजारा मोटर	15 सितम्बर 2011	120.92	10.04	0.43	131.39	526.6	
8	जयपुर (ग्रामीण)	कंचन डेयरी फूड प्रोडक्ट्स जयपुर	28 मार्च 2012	11.02	0.54	0.06	11.62	71.59	
9	गोलवाड़ा	केशव इंडिया (प्राईवेट) लिमिटेड	11 अप्रैल 2008	478.15	178.10	21.64	677.89	337	340.89
10	जोधपुर (ग्रामीण)	पारस ऑयल इंडस्ट्रीज, जोधपुर	18 नवम्बर 2008	30.88	19.07	0	49.95	160.11	
11	जयपुर (शहर)	कृष्ण रिला प्राइम अपार्टमेंट (प्राईवेट) लिमिटेड, जयपुर	15 जनवरी 2010	900.00	877.42	25.16	1802.58	2987.82	
12	भरतपुर	भरतपुर कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	4 फरवरी 2010	15.15	139.24	0.08	154.47	14.36	140.11
13	जयपुर (शहर)	स्कॉ विल्स एसेंट (प्राईवेट) लिमिटेड, जयपुर	23 फरवरी 2010	240.00	213.32	4.68	458.00	530	
14	जयपुर (शहर)	अमय होम सर्विसेज, जयपुर	23 मार्च 2010	725.52	707.30	4.14	1436.96	1498.47	
15	बालोतरा	रोशन गोविंदी इंडस्ट्रीज, बालोतरा	21 अक्टूबर 2010	9.28	16.00	2.41	27.69	6.44	21.25
16	मिवाड़ी	सौ. पी. स्ट्रील इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	15 नवम्बर 2010	1.94	10.03	0.77	12.74	225.53	
कुल योग				3022.15	3524.49	62.40	6609.04	9505.48	1146.79

पाँच से 10 वर्षों तक अधिग्रहण में रही इकाईयाँ

(₹ लाख में)

क्र.सं.	शाखा का नाम	उधारकर्ता इकाई का नाम	अधिग्रहण की तिथि	बकाया देयतावै			नवीनतम एमआरवी	बकाया देयतावै से एमआरवी में कमी
				महादेश	बाज़ अन्य शाखा	कुल		
1	भिवाड़ी	मदुर फरोज प्लारट (इडिया) प्राइवेट लिमिटेड, भिवाड़ी बी. आदित्य मल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	8 दिसम्बर 2003	82.15	41.80	4.56	128.51	76.42 52.09
2	बीकानेर		11 दिसम्बर 2003	8.57	4.54	0.31	13.42	42.65
3	उदयपुर	मैसर्स राज कुमार झा	23 जनवरी 2004	8.00	15.05	1.36	24.41	51.33
4	प्रतपुर	श्री अंबिका एटोन क्रशर, भरतपुर	31 जनवरी 2004	14.36	6.95	3.34	24.65	17.64 7.01
5	जोधपुर	मैसर्स श्री कैम	21 जून 2005	8.63	23.58	4.03	36.24	118.9
6	दुनियापुर	मैसर्स गिलाप यादव, सिमलवाड़ा	19 नवम्बर 2005	16.77	9.47	0.00	26.24	1.3 24.94
7	सीकर	सिराषना आँयल एण्ड फ्लोर गिल, भगेगा	6 दिसम्बर 2005	0.47	4.72	0.44	5.63	1.1 4.53
8	जयपुर (ग्रामीण)	रवा सीमेण्ट प्राइवेट लिमिटेड	30 जनवरी 2006	49.76	28.72	3.77	82.25	58.25 24.00
9	बांग	जैन स्टार्ट-क इण्डस्ट्रीज, बांग	9 नवम्बर 2006	3.76	0.09	0.25	4.10	8.27
10	जाहोर	मैसर्स शांति ऑफल्म, जाहोर	11 जनवरी 2007	7.34	33.20	0.97	41.51	12.73 28.78
11	पट्टी	मैसर्स मोहर लाईम	31 जनवरी 2007	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	20.5
12	जयपुर (सीतापुरा)	अनुराग लाइटिंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सीतापुरा	17 अगस्त 2007	32.72	29.33	2.11	64.16	91.36
13	बांग	निराम धाम हास्पिटल	5 दिसम्बर 2007	1.84	1.89	0.14	3.87	3.7 0.17
14	हनुमानगढ़	मैसर्स सिध्धल टायर कम्पनी	1 मार्च 2008	6.22	3.62	0.12	9.96	4.07 5.89
15	बांग	मैसर्स जैन लाइटिंग, बांग	26 मार्च 2008	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	7.05
		कुल		240.59	202.96	21.40	464.95	515.27 147.41

10 से 20 वर्षों तक अधिग्रहण में रही इकाईयाँ

क्र.सं.	शाखा का नाम	उद्धारकर्ता इकाई का नाम	अधिग्रहण की तिथि	बकाया देयताये			नवीनतम् एमआरवी	बकाया देयताओं से एमआरवी में कमी
				मूलधन	बाज़	अन्य राशि		
1	अलवर	मैसर्स नेशनल गरेजेंगा	15 अप्रैल 1993	5.14	5.85	3.04	14.03	58.15
2	दूदियपुर	राजस्थान रोडाईसोल	4 जनवरी 1994	44.77	10.67	0.50	55.94	414
3	गोलवाड़ा	भारत सीमेण्ट पाईप फैबरी	21 जनवरी 1994	1.85	4.12	2.28	8.25	5.55
4	घोलपुर	उपेंच्छ कोल्ड स्टोरेज एण्ड आईस कैवर्टरी, घोलपुर	21 अप्रैल 1995	22.03	25.21	1.10	48.34	31.22
5	आबू रोड	शिशर पॉलीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड	1 अगस्त 1995	28.82	33.89	0.32	63.03	उ.न. -
6	दूगारपुर	जोशी मार्बल	19 दिसम्बर 1995	2.47	1.06	1.06	4.59	1.15
7	बांसवाड़ा	नफीम ग्रेनाइट, परतापुर, बांसवाड़ा	30 अगस्त 1996	6.85	0	0.25	7.10	0.4
8	मधराना	पहाड़िया मार्बल	11 मई 1997	0	0	0.12	0.12	19.13
9	बांसवाड़ा	के. टी. मार्बल	18 नवम्बर 1997	8.46	0.27	0.83	9.56	2.8
10	मधराना	कृष्ण आरल मिन्ट, नावा	28 जुलाई 1998	2.72	8.81	1.44	12.97	3.31
11	अजमेर	प्रधाश उद्योग, अजमेर	21 अप्रैल 1999	1.64	2.61	4.29	8.54	21.45
12	आबू रोड	चान्द्रावती मश्तुबन होटल, आबू रोड	28 नवम्बर 2000	0.00	0.00	0.02	0.02	27.02
13	जयपुर (शहर)	आमेर कैबिल, जयपुर	15 दिसम्बर 2000	83.03	60.72	21.25	165.00	42.4
14	राजसमंद	बलदेव मिश्रल प्राइवेट लिमिटेड, राजसमंद	11 अप्रैल 2001	7.46	4.81	6.80	19.07	47.16
				215.24	156.02	43.30	416.56	673.74
								168.98
				कुल				

20 वर्षों से अधिक तक अधिग्रहण में रही इकाईयाँ

(₹ लाख में)

क्र.सं.	शास्त्र का नाम	उद्धारकर्ता इकाई का नाम	अधिग्रहण की तिथि	बकाया देयतावर्ते			नवीनतम् एमआरवी	बकाया देयताओं से एमआरवी में कमी
				मूलदान	बाज	अन्य राशि		
1	गीलवाड़ा	डिवाईन चिपनिंग एंड वीविंग मिल्स	2 नवम्बर 1987	11.34	13.26	1.44	26.04	148.97
2	जर्मुर (शहर)	प्रैमियर मेटल इंडस्ट्रीज, जर्मुर	9 सितम्बर 1988	उ.न.	उ.न.	उ.न.	450	
3	सोफर	शोशाचाटी घार नाम इंडस्ट्रीज सोफर	5 अप्रैल 1988	2.37	2.72	0.40	5.49	1.1
4	ब्रह्मपुर	अमालोक इंजीनियरिंग वर्क्स	6 अप्रैल 1988	7.27	22.48	0.84	30.59	222.6
5	बोकेआईए	मैसर्स सना बिल्डर्स	23 अप्रैल 1990	0.01	0	0.14	0.15	390.5
6	टॉक	मैसर्स पारस कंस्ट्रक्शन, टॉक	5 जनवरी 1993	4.50	3.51	1.30	9.31	8.68
	कुल			25.49	41.97	4.12	71.58	1221.85
								5.02

वर्ष वार स्थिति का सांग्रह

5 वर्षों तक	16	3022.15	3524.49	62.40	6609.04	9505.48	1146.79
5 से 10 वर्ष	15	240.59	202.96	21.40	464.95	515.27	147.41
10 से 20 वर्ष	14	215.24	158.02	43.30	416.56	673.74	168.98
20 वर्ष से अधिक	6	25.49	41.97	4.12	71.58	1221.85	5.02
सम्पूर्ण योग	51	3503.47	3927.44	131.22	7562.13	1916.34	1468.20

अनुबन्ध-16
(अनुच्छेद संख्या 3.20 में संदर्भित)

**वसूली प्रक्रियाओं में कमियों को उजागर करने वाले प्रकरण अध्ययनों को
दर्शाने वाला विवरण पत्र**

एनएलपी आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, भिवाड़ी

निगम ने ₹ 37.30 लाख का ऋण स्वीकृत किया (फरवरी 1987 व फरवरी 1988) एवं ₹ 31.34 लाख (जून 1989 तक) का वितरण किया। पुनर्भुगतान में छूक करने पर एवं उधारकर्ता द्वारा अनेक बार की गई प्रतिबद्धताओं की अनुपालना नहीं किये जाने पर, अंततः इकाई का अधिग्रहण अप्रैल 2010 में किया गया था एवं ₹ 5.69 करोड़ की बकाया देयताओं के समक्ष प्राथमिक संपत्तियों को ₹ 2.71 करोड़ के प्रतिफल में विक्रय किया गया (मार्च 2011)। निगम ने विलम्ब से (जनवरी 2013) प्रवर्तकों की संपत्तियों एवं पते की पहचान की। तथापि, ₹ 2.98 करोड़ की शेष बकाया राशि की वसूली हेतु अनुच्छेद 32-जी के तहत कोई कार्यवाही नहीं की (जून 2013) गयी थी।

सरकार ने अधिग्रहण में एवं शेष बकाया राशि की वसूली में विलम्ब के तथ्यों को स्वीकार किया। तथापि, इसने कहा कि उधारकर्ता को एक नवीन वैधानिक नोटिस जारी किया गया था एवं यदि देयताओं का पुनर्भुगतान नहीं किया जाता है, देयताओं की वसूली हेतु आरओडी जिलाधीश को अग्रेषित की जायेगी।

सितारा सीमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

'घाटे के प्रकरणों/डिक्री के प्रकरणों/अपलिसित प्रकरणों के निपटान हेतु योजना 2008-09' में प्रावधान है कि ऐसे मामलों जिनमें प्राथमिक संपत्तियाँ विक्रय कर दी गई थीं एवं कोई समानान्तर प्रतिभूति उपलब्ध नहीं थी तथा प्रवर्तकों/जमानतियों की वित्तीय स्थिति अत्यन्त स्वराब थी, का निपटान शेष बकाया राशि के मूलधन तत्व, अन्य राशि एवं पाँच प्रतिशत वसूली प्रभार शुल्क पर किया जा सकता है, जहाँ प्रकरण अनुच्छेद 32(जी) के तहत सम्बन्धित जिलाधीश के पास दर्ज करवा दिये गये थे।

निगम ने एसएफसी अधिनियम की धारा 32-जी के तहत ₹ 87.03 लाख की शेष बकाया राशि, जो प्राथमिक संपत्तियों को ₹ 29.11 लाख के प्रतिफल में विक्रय (मार्च 2003) करने के उपरांत शेष रही, की वसूली हेतु मांग पत्र जिलाधीश के समक्ष दर्ज करवाया। तथापि निगम ने, शास्त्रा कार्यालय द्वारा प्रवर्तकों की संपत्तियों की बाजार कीमत ₹ 1.30 करोड़ सूचित (मार्च 2009) करने के बावजूद प्रकरण का निपटान मात्र ₹ 35 लाख में किया (मई 2009)। साथ ही, योजना के अनुसार ₹ 69.97 लाख की न्यूनतम राशि वसूल की जानी थी। इसके अलावा, निगम ने राजस्थान सरकार की नीति (1990) के तहत प्रदान की गई (मई 1994 एवं अप्रैल 1996) ₹ 18.49 लाख की निवेश अर्थ-साहाय्य, जो इकाई के पाँच वर्षों से कम अवधि तक उत्पादन करने पर वसूलनीय थी, की भी वसूली नहीं की थी। इस प्रकार, निगम ने निर्धारित नियमों के उल्लंघन में प्रकरण का निपटान कर ₹ 53.46 लाख की कम वसूली की थी।

सरकार ने कहा कि प्रकरण का निपटान प्रवर्तक की सम्पत्तियों को चिन्हित करने में कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये किया गया था। साथ ही, राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा स्थगन भी प्रदान किया गया था। तथ्य यही रहा कि निगम ने प्रकरण के निपटान में इसके स्वयं के नियमों का उल्लंघन किया।

धाना कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड, भरतपुर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट के निर्देशों (दिसम्बर 1995) पर इकाई¹ को उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ होने से पूर्व ही बंद कर दिया गया था। तथापि, निगम ने ₹ 2.99 लाख की अंतिम किश्त का वितरण किया (फरवरी 1996) जिससे कुल वितरित राशि ₹ 17.61 लाख हो गई। पुनर्भुगतान में चूक करने एवं धारा 29 व 30 के तहत जारी किये गये नोटिसों (अगस्त 2000) की अनुपालना नहीं करने पर, निगम ने धारा 31(1)(एए) के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की। जिला न्यायालय ने 1 जनवरी 2001 को ₹ 40.07 लाख की बकाया देयताओं के साथ पुनर्भुगतान किये जाने तक 16 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज की वसूली हेतु निगम के पक्ष में आदेश जारी किया (अप्रैल 2004)। उधारकर्ता ने डिक्री आदेश की पालना नहीं की थी एवं निगम ने डिक्री आदेश के निष्पादन हेतु एक आवेदन पत्र दायर किया (सितम्बर 2005)। जबकि आवेदन पत्र न्यायालय के समक्ष लंबित था, निगम की प्रधान कार्यालय स्तरीय समिति ने प्रकरण का निपटान ₹ 113.86 लाख की बकाया देयताओं के समक्ष ₹ 25 लाख (सात किश्तों में देय) में कर दिया (जुलाई 2008)। इस प्रकार, प्रकरण का न्यायालय से बाहर निपटारा करने के कारण निगम ने ₹ 88.86 लाख की कम वसूली की, इसके अलावा नये उद्यमों हेतु राज्य पूँजी निवेश अर्थ-साहाय्य योजना (1990) के अनुसार उधारकर्ता को प्रदान की गई अर्थ-साहाय्य के पेटे ₹ 4.36 लाख (बिना ब्याज के), जो कि इकाई के लगातार पाँच वर्षों तक उत्पादन में नहीं रहने पर वसूलनीय थी, की भी वसूली नहीं की गयी थी।

सरकार ने कहा कि मूल टार्फिट डीड जारी नहीं की गई थी एवं ब्याज के साथ अर्थ-साहाय्य की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है। तथापि, उत्तर न्यायालय से बाहर निपटान किये जाने के कारण कम वसूली के मुद्दे पर मौन था।

भरतपुर कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड

निगम ने ₹ 20 लाख की स्वीकृति (सितम्बर 1995) के समक्ष ₹ 17.23 लाख के कोष वितरित किये (फरवरी 1996 तक)। राजस्थान सरकार की नीति के अनुसार ₹ 4.64 लाख की निवेश अर्थ-साहाय्य भी वितरित की गई थी (मार्च 1997)। चूक करने पर धारा 29 व 30 के तहत वैधानिक नोटिस जारी किये गये थे (जनवरी 1998) परन्तु न तो उधारकर्ता द्वारा राशि जमा करवायी गई थी एवं न ही निगम द्वारा कब्जा लिया गया था जिसके कारण अभिलेखों में नहीं पाये गये। प्रारम्भ में उधारकर्ता निपटान के समय (मार्च 2001) ₹ 33.05 लाख की बकाया देयताओं के समक्ष ₹ 15.90 लाख के भुगतान हेतु सहमत था। तथापि, इसने समझौते की पालना नहीं की थी एवं संयंत्र व मशीनरी के विक्रय से प्राप्त प्रतिफल को जमा करवाने पर सहमति दी। विक्रय प्रतिफल की राशि ₹ 6.80 लाख जमा की गई थी एवं निगम ने शेष देयताओं की वसूली हेतु धारा 31(ए) व (एए) के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की थी जो कि न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दी गयी थी कि निगम को पहले धारा 29 के तहत कार्यवाही करनी चाहिये। हमने पाया कि इस तथ्य के बावजूद कि प्रवर्तकों की सम्पत्तियाँ ₹ 1.56 करोड़ पर मूल्यांकित की गई थी (अप्रैल 2009)। प्राथमिक व समानान्तर सम्पत्तियों की एमआरवी ₹ 22.59 लाख थी (सितम्बर 2011) एवं उधारकर्ता ने सितम्बर 2011 को ₹ 1.56 करोड़ की बकाया देयताओं के समक्ष एसएलसी में हुये समझौते (मई 2012) की ₹ 18.09 लाख की सहमति राशि का भुगतान नहीं किया था, निगम ने जून 2013 तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की थी।

1 क्लोरिनेटिड पैराफिन वैक्स एण्ड एचसीएल एसिड।

सरकार ने कहा कि इकाई का अधिग्रहण किया गया था एवं एसएलसी द्वारा प्रस्तावित समझौता निरस्त किया गया था। तथ्य यही रहा कि निगम प्रवर्तकों की सम्पत्तियों की पहचान करने के बावजूद देयताओं की वसूली नहीं कर सका।

अनुराग प्लास्टो प्रॉडक्ट्स, जयपुर

निगम ने ₹ 59 लाख का ऋण स्वीकृत किया (मार्च 1998) एवं जनवरी 2002 तक ₹ 56.22 लाख का वितरण किया। उधारकर्ता ने वर्ष 2002 से चूक करना प्रारम्भ कर दिया एवं निगम ने 2002-2005 की अवधि के दौरान धारा 30 के तहत अनेक नोटिस जारी किये। उधारकर्ता से ₹ 0.75 लाख का अन्तिम भुगतान 2004-05 में प्राप्त हुआ। इसके उपरांत मामला न्यायाधीन हो गया एवं उच्च न्यायालय ने आदेश दिया (जनवरी 2005) कि निगम इसके द्वारा बनाई गई नीति एवं कानून के प्रावधानानुसार विवाद का निपटान कर सकता है। एचओएलसी ने ₹ 2.33 लाख का दंड ब्याज माफ करने का प्रस्ताव दिया (मई 2006) परन्तु उधारकर्ता इस पर सहमत नहीं था। प्रधान कार्यालय से इस बारे में दिशानिर्देशों के अभाव में कि क्या इस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा कोई स्थगन था, इकाई अगस्त 2007 तक अधिग्रहित नहीं की जा सकी थी। उधारकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनः एक आवेदन दायर किया (2011) जिस पर उधारकर्ता को दो माह की अवधि के भीतर ₹ 48 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया गया था (मार्च 2013) अन्यथा निगम सम्पत्ति को नीलाम किये जाने हेतु स्वतंत्र था। उधारकर्ता ने राशि जमा नहीं करवाई थी (जून 2013) एवं निगम ने भी नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी।

हमने देखा कि न्यायालय ने कभी भी नीलामी द्वारा वसूली कार्यवाही आस्थित करने हेतु निर्देशित नहीं किया था परन्तु निगम ने न्यायालय द्वारा स्थगन का हवाला देकर अधिग्रहण करने में विलम्ब किया। अक्टूबर 2012 को, उधारकर्ता के विरुद्ध बकाया देयताएं ₹ 64.12 लाख (अधिग्रहण के पश्चात् से ब्याज को छोड़कर) थी।

सरकार ने कहा कि इकाई मुकदमेबाजी एवं न्यायालय के दिशानिर्देशों के कारण नीलाम नहीं की जा सकी। उत्तर सही नहीं है क्योंकि न्यायालय द्वारा ऐसे कोई दिशानिर्देश प्रदान नहीं किये गये थे, जो इकाई को विक्रय किये जाने से रोकते हों। निगम ने विधिक प्रतिनिधि की राय को न्यायालय के दिशा-निर्देश के रूप में माना जो कि उचित नहीं था।

मुदगल एज्यूकेशन ट्रस्ट, दौसा

निगम ने ₹ 4.85 करोड़ के आवेदित ऋण के समतुल्य समानान्तर प्रतिभूति लेने के प्रारम्भिक निर्णय (फरवरी 2010) के विरुद्ध ₹ 4.85 करोड़ की स्वीकृति (मार्च 2010) के समक्ष मात्र ₹ 1.50 करोड़ की समानान्तर प्रतिभूति प्राप्त की एवं ₹ 4.36 करोड़ वितरित किये (जून 2011 तक)। साथ ही, शाखा प्रबंधक द्वारा आपत्ति करने एवं ऋण का दो बार (मार्च 2012 एवं मार्च 2013) एलडीआर को अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2018 तक बढ़ाकर पुनर्निर्धारण किये जाने के तथ्य के बावजूद निगम की देयताओं के पुनर्भुगतान में उधारकर्ता को सुविधा प्रदान करने हेतु प्राथमिक सम्पत्ति के उच्च मूल्यांकन (मार्च 2013 में ₹ 6.87 करोड़) को ध्यान में रखते हुये ₹ 93.75 लाख मूल्य की समानान्तर प्रतिभूति मुक्त कर दी थी (जून 2013)। इसके अलावा, इकाई की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं थी क्योंकि 2010-11 के दौरान इसने मात्र ₹ 1.95 लाख का अल्प लाभ अर्जित किया था एवं उधारकर्ता प्रारम्भिक मूल पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार मूलधन राशि के पेटे ₹ 1.74 करोड़ के समक्ष जून 2013 तक केवल ₹ 29.90 लाख का ही भुगतान कर सका।

सरकार ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार पर्याप्त समानान्तर प्रतिभूति नहीं ली गई थी क्योंकि प्राथमिक सम्पत्तियों का मूल्य ऋण की सुरक्षा हेतु पर्याप्त था। साथ ही, प्रक्रिया के अनुसार पुनर्निर्धारण किया गया था। उत्तर सही नहीं है क्योंकि निगम ने उधारकर्ता की वित्तीय व्यावहार्यता योजना को ध्यान में रखे बिना ही ऋण को दो बार पुनर्निर्धारित किया था। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि उधारकर्ता ने पुनर्निर्धारण के पश्चात् भी चूक की थी।

केशव इंडिया लिमिटेड, भीलवाड़ा

उधारकर्ता द्वारा रीको से लिये गये ₹ 4.61 करोड़ के ऋण को उधारकर्ता की वित्तीय सुदृढ़ता का आंकलन किये बिना परिवर्तित (मार्च 2004) करने में निगम की ओर से लापरवाही थी क्योंकि उधारकर्ता इकाई ने रुग्ण औद्योगिक इकाई घोषित करने हेतु स्वयं को बीआईएफआर में पंजीकृत करवाया था (अप्रैल 2004)। निगम ने इकाई को ₹ 48.26 लाख का एक अन्य ऋण भी वितरित किया (मार्च 2004)। साथ ही, निगम ने लगातार चूकों एवं अक्टूबर 2004 से मई 2005 की अवधि के दौरान चैकों के अनादरण के बावजूद, इकाई को अधिग्रहित करने के बजाय ऋणों का पुनर्निर्धारण किया (अगस्त 2005)। पुनर्निर्धारण के पश्चात् भी लगातार चूक होने पर, इकाई को एसएआरएफएर्इएसआई² अधिनियम, 2002 के तहत अप्रैल 2008 में अधिग्रहित किया गया था। इकाई को नौ बार (अगस्त 2008 से अप्रैल 2013) नीलामी हेतु रखा गया था। सात नीलामियों के दौरान कोई बोलीदाता नहीं आया एवं दो अवसरों पर ₹ 2 करोड़ (फरवरी 2013) एवं ₹ 2.70 करोड़ (अप्रैल 2013) की उच्चतम बोलियाँ प्राप्त हुई थी। तथापि, निगम ने इकाई की एमआरवी, जो कि ₹ 5.74 करोड़ (अगस्त 2008) से ₹ 3.37 करोड़ (अप्रैल 2013) तक कम हो गयी थी, को ध्यान में रखते हुये प्रस्तावों को अपर्याप्त मानते हुये इकाई का विक्रय नहीं किया था। इकाई का विक्रय नहीं हुआ (जून 2013) एवं मार्च 2013 को, अधिग्रहित अवधि के ब्याज को छोड़ते हुये उधारकर्ता से ₹ 6.88 करोड़ की वसूली लम्बित थी। इसके अलावा, निगम ने सम्पत्तियों की चोरी एवं विलम्बित बीमा के कारण ₹ 41.36 लाख की हानि भी वहन की।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि निगम, आवेदनकर्ता के बीआईएफआर से सम्पर्क किये जाने के तथ्य से अवगत नहीं था। खाते को मानक श्रेणी में रखने हेतु ऋण का पुनर्निर्धारण भी किया गया था।

जय बालाजी सीमेण्ट लिमिटेड

निगम की एक रुग्ण इकाई को क्रय करने हेतु निगम ने ₹ 75 लाख का ऋण स्वीकृत एवं वितरित किया (जुलाई 1996)। उधारकर्ता ने कभी भी एक भी किश्त भुगतान नहीं किया परन्तु निगम ने भौतिक कब्जा लेने के बजाए धारा 29 एवं 30 के तहत केवल नोटिस जारी किये। तथापि, एचओएलसी ने समानान्तर प्रतिभूति एवं तृतीय पक्षकार गारंटी की अनुपलब्धता के कारण प्रकरण का निपटान ₹ 7.13 करोड़ की बकाया राशि (अप्रैल 2008 को) के समक्ष ₹ 96.94 लाख में किया (नवम्बर 2008)। इस प्रकार, प्रारम्भिक चूकों के समय भौतिक कब्जा लेने में निष्क्रियता एवं समानान्तर प्रतिभूति व तृतीय पक्षकार गारंटी के बिना वितरण करने के कारण निगम को ₹ 6.19 करोड़ का त्याग करना पड़ा था। साथ ही, यदि प्रारम्भिक चूकों के समय ही भौतिक कब्जा ले लिया होता तो निगम अपनी सभी देयताओं की वसूली कर सकता था क्योंकि अगस्त 1998 को इकाई की एमआरवी ₹ 1.18 करोड़ थी, अधिदेय ₹ 0.36 करोड़ थे एवं बकाया देयताएं ₹ 0.92 करोड़ थी।

2 वित्तीय सम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतियों का प्रवर्तन अधिनियम, 2002.

सरकार ने कहा कि उधारकर्ता की सम्पत्तियाँ वाणिज्यिक कर विभाग (सीटीडी) द्वारा बंधंक हुई थी जिसके लिये निगम ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था (अक्टूबर 2000)। न्यायालय ने निगम के पक्ष में निर्णय पारित किया (अप्रैल 2008) परन्तु इसी समय प्रवर्तक ने ऋण के निपटान हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया (सितम्बर 2007) एवं एचओएलसी ने प्रकरण का निपटान किया (नवम्बर 2008)। उत्तर सहमतिकारक नहीं है क्योंकि इस तथ्य के बारे में अवगत होने के बावजूद कि ऋण के समक्ष कोई समानान्तर प्रतिभूति एवं तृतीय पक्षकार गारंटी उपलब्ध नहीं थी, प्रारम्भिक चूकों के समय भौतिक कब्जा नहीं लेने के कारण निगम को ₹ 6.19 करोड़ का त्याग करना पड़ा था।

धनलक्ष्मी साइलियम प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, जालौर

निगम ने इकाई का अधिग्रहण कर (मार्च 2003) ₹ 4.31 करोड़ की बकाया देयताओं के समक्ष ₹ 75.21 लाख में इकाई का विक्रय किया (मार्च 2006)। तत्पश्चात्, निगम ने प्रवर्तकों की ₹ 5.23 करोड़ मूल्य की सम्पत्तियों की पहचान करने के बावजूद, प्रकरण का निपटान ₹ 3.72 करोड़ की शेष बकाया राशि के समक्ष ₹ 80 लाख में किया (नवम्बर 2009)। इस प्रकार, धारा 32-जी के तहत कार्यवाही करने के बजाए समझौता किये जाने के कारण निगम ₹ 2.92 करोड़ की देयताओं की वसूली नहीं कर सका।

सरकार ने कहा कि समझौते की सम्पूर्ण राशि की वसूली की जा चुकी है। उत्तर सहमतिकारक नहीं है क्योंकि निगम ने प्रवर्तकों की सम्पत्तियों की पहचान करने के बावजूद धारा 32-जी के तहत कार्यवाही करने के बजाय स्वाते का निपटान कर दिया।

बी.आर. कॉन्फ्रेक्टर

निगम ने क्रय किये गये संयंत्र व मशीनरी के पूर्ण दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करने के कारण ₹ 26 लाख की स्वीकृति (जुलाई 2002) के समक्ष मात्र ₹ 12.20 लाख का ऋण वितरण किया (मार्च 2003)। स्वीकृति एवं वितरण इस तथ्य की जानकारी होने के बावजूद किया गया कि प्राथमिक प्रतिभूति चल सम्पत्ति है एवं प्रस्तुत समानान्तर प्रतिभूति में से एक (गाँव में आवासीय घर) विक्रय योग्य नहीं था। उधारकर्ता ने प्रारम्भ से ही चूक की एवं निगम ने धारा 29 व 30 के तहत अनेक नोटिस जारी किये (नवम्बर 2003 से अक्टूबर 2004) परन्तु उधारकर्ता ने किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया था। निगम ने अधिग्रहण करने का भी प्रयास किया (दिसम्बर 2004) जो कि सम्बन्धियों के विरोध, मशीनों की संस्था एवं किराये पर खुली जगह के कारण क्रियान्वित नहीं हो सका। उधारकर्ता ने अधिदेय के पेटे ₹ 1.86 लाख का चैक जमा करवाया (दिसम्बर 2004) जो अनादरित हो गया था एवं अंततः ₹ 1.54 लाख की राशि का भुगतान नकद में किया (जनवरी 2005)। आगे की चूकों पर, निगम ने धारा 32-जी के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की (मार्च 2005)। जिलाधीश को आरओडी जारी की गयी थी (नवम्बर 2005) परन्तु यह जिलाधीश को प्राप्त नहीं हुई थी एवं निगम ने आरओडी पुनः जारी की (फरवरी 2007)। निगम ने उधारकर्ता की कृषि भूमि को 13 बार नीलामी में रखा (मार्च 2008 से जून 2012) परन्तु कोई भी बोलीदाता नहीं आया। तत्पश्चात्, भूमि की नीलामी हेतु कोई प्रयास नहीं किये गये थे क्योंकि उधारकर्ता ने भूमि को अपनी पत्नी को उपहार में दे दिया था। हमने देखा कि निगम ने, आवासीय घर के विक्रय योग्य नहीं होने के इसके स्वयं के आंकलन के बावजूद ऋण का वितरण करके, भूमि के अवैध हस्तान्तरण हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके, ओटीएस के तहत निपटान प्रस्ताव द्वारा अवसर प्रदान करके एवं धारा 32-जी के तहत प्रकरण का अनुसरण नहीं करके उधारकर्ता को अनुचित लाभ प्रदान किया था। साथ ही, निगम ने वाणिज्यिक दुकानों के विक्रय हेतु धारा 29 के तहत कोई कार्यवाही भी प्रारम्भ नहीं की थी।

मार्च 2013 को उधारकर्ता से ₹ 1.29 करोड़ की वसूली लम्बित थी।

सरकार ने कहा कि स्थल पर कानून व व्यवस्था की समस्या के कारण अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी (दिसम्बर 2004)। भूमि के अवैध रूप से उपहार में दिये जाने का तथ्य एसडीओ के नोटिस में लाया गया था परन्तु भूमि की उपहार डीड को निरस्त किये जाने हेतु कोई कार्रवाही नहीं की गई थी। एसएलसी ने उधारकर्ता की प्रार्थना पर प्रकरण का निपटान ₹ 12.14 लाख में कर दिया (11 सितम्बर 2013) एवं स्वाता बन्द कर दिया गया है। तथ्य यही रहा कि निगम ने सम्पत्तियों की पहचान के बावजूद ₹ 1.29 करोड़ की बकाया राशि के समक्ष प्रकरण का निपटान ₹ 12.14 लाख में कर उधारकर्ता को अनुचित लाभ पहुँचाया।

अनुच्छेद संख्या 4.5 में संदर्भित

(अनुच्छेद संख्या 4.5 में संदर्भित)

चयनित वृत्तों में उपभोक्ताओं का श्रेणी-वार विवरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

वृत्त का नाम	पाली	जोधपुर शहर						वीकानेर			कुल	समग्र योग
		कुल	एसआईपी	मिक्स	एनडीएस	कुल	एसआईपी	मिक्स	एनडीएस	कुल		
उपभोक्ताओं की श्रेणी	एसआईपी											
उपभोक्ताओं की श्रेणी की कुल संख्या	कुल	कुल	कुल	कुल	कुल	कुल	कुल	कुल	कुल	कुल	कुल	कुल
उपभोक्ताओं की कुल संख्या	636	4619	1091	28197	34543	854	2548	295	28347	32044	434	1756
घटायें: उपभोक्ता जिनकी प्रारम्भिक सुरक्षा निधि शून्य है	84	983	42	8175	9284	279	637	30	8036	8982	41	195
घटायें: उपभोक्ता उपभोक्ता एवं पर्याप्त सुरक्षा निधि वाले उपभोक्ता	157	1641	861	9250	11909	152	742	150	8180	9224	120	782
शेष उपभोक्ता, जिनकी सुरक्षा निधि अपर्याप्त है।	395	1995	188	10772	13350	423	1169	115	12131	13838	273	779
सुरक्षा निधि की आवश्यकता (₹ करोड़ में)	3.15	1.50	0.37	3.21	8.23	3.53	1.14	0.59	8.74	14.00	2.11	0.55
उपलक्ष्य सुरक्षा निधि (₹ करोड़ में)	1.08	0.50	0.08	0.76	2.42	1.28	0.35	0.17	2.68	4.48	0.67	0.15
सुरक्षा निधि में कमी (₹ करोड़ में)	2.07	1.00	0.29	2.45	5.81	2.25	0.79	0.42	6.06	9.52	1.44	0.40
											0.17	0.71
											2.72	18.05

अनुबन्ध-18

(अनुच्छेद संख्या 4.12.2 में संदर्भित)

निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रत्युत्तरता के अभाव को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अनुच्छेद		प्रथम अनुपालन प्राप्त नहीं		दो से अधिक वर्षों से अनुपालन प्राप्त नहीं	
		पीएसयूज की संख्या	बकाया नि�रीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया अनुच्छेदों की संख्या	पीएसयूज की संख्या	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	पीएसयूज की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

(अ) सरकारी कम्पनियाँ

1. कृषि एवं समवर्ती क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-
2. वित्त क्षेत्र	3	22	75	29.88	-	-	-
3. हांचागत क्षेत्र	2	88	291	204.36	1	4	16
4. निर्माण क्षेत्र	5	29	109	276.14	-	-	-
5. ऊर्जा क्षेत्र	7	331	1621	633.86	-	-	-
6. सेवा क्षेत्र	7	62	149	78.43	3	4	17
7. विविध क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-
योग (अ)	24	532	2245	1222.67	4	8	33

(ब) सांविधिक निगम

1. वित्त क्षेत्र	1	50	135	433.93	-	-	-
2. सेवा क्षेत्र	1	76	217	49.38	-	1	8
योग (ब)	2	126	352	483.31	-	1	8
कुल योग (अ+ब)	26	658	2597	1705.98	4	8	33

पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज की संख्या	बकाया नि�रीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया अनुच्छेदों की संख्या	पीएसयूज की संख्या	बकाया अनुच्छेदों की संख्या	पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज की संख्या
पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज की संख्या	बकाया नि�रीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया अनुच्छेदों की संख्या	पीएसयूज की संख्या	बकाया अनुच्छेदों की संख्या	पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज की संख्या
पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज की संख्या	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया अनुच्छेदों की संख्या	पीएसयूज की संख्या	बकाया अनुच्छेदों की संख्या	पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज की संख्या
पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज की संख्या	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया अनुच्छेदों की संख्या	पीएसयूज की संख्या	बकाया अनुच्छेदों की संख्या	पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज की संख्या

अनुच्छेद-19

(अनुच्छेद संख्या 4.12.2 में संदर्भित)

विभागावार झापट अनुच्छेदों/निषादन लेखापरीक्षा, जिनके उत्तर प्रतीक्षित थे, को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. सं.	विभाग का नाम	कम्पनी/निगम का नाम	निषादन समीक्षाओं की संख्या	झापट अनुच्छेदों की संख्या	जारी करने की अवधि
1.	छज्जा	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-	1	सितम्बर 2013
		अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-	1	अक्टूबर 2013
2.	उद्योग	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	-	2	अगस्त 2013 से अक्टूबर 2013
		राजस्थान वित निगम	1	-	अक्टूबर 2013
3.	पर्यटन	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1	-	अक्टूबर 2013
		कुल	2	4	